कुरुक्षेत्र

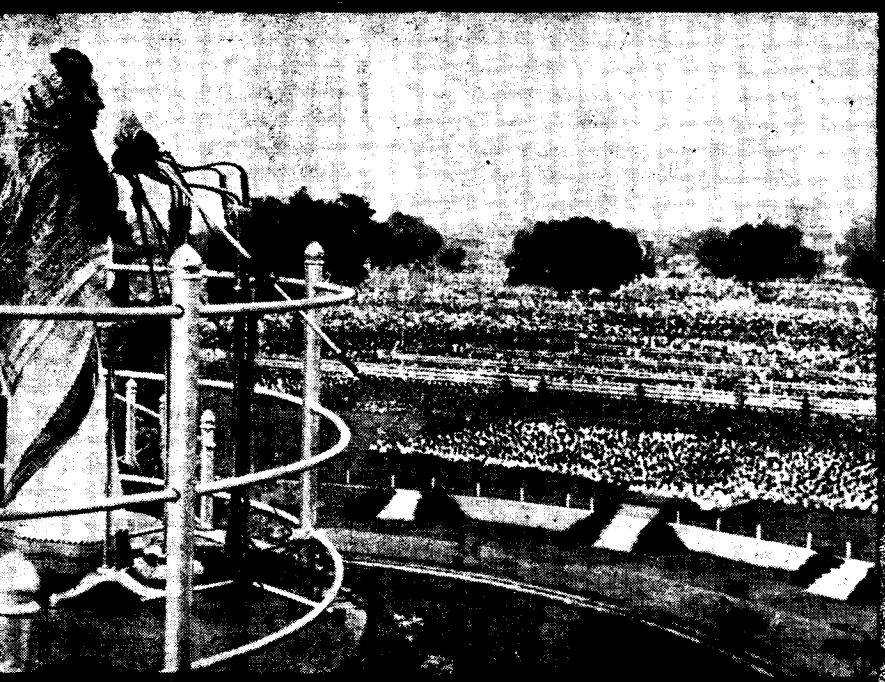

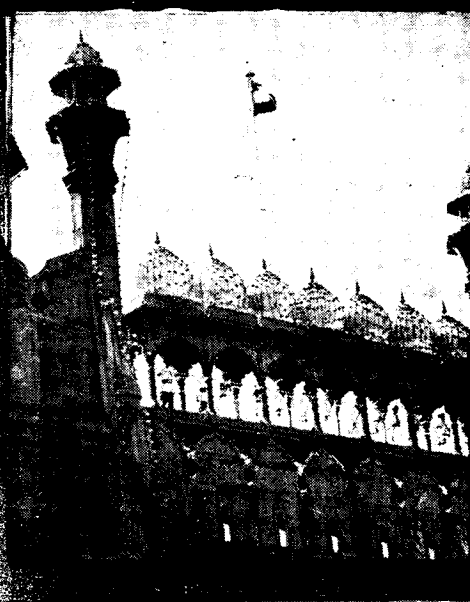

कितना बड़ा विरोधाभास :

शहरों में गगनचुम्बी इमारतें, गांवों में सिर छिपाने को मढ़ैया तक नहीं

रोटी और कपड़े के पश्चात् मकान मनुष्य की तीसरी अधारभूत आवश्यकता है। भारत एक बड़ा देश है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पर यहां मकानों की बड़ी कमी है। गांवों में तो स्थिति और भी भयंकर है। 1963-64 के एक अध्ययन के अनुसार 45 प्रतिशत गांवों में पक्के मकान नहीं थे। केवल 31 प्रतिशत गांवों में 5 से अधिक पक्के मकान थे।

वैसे तो गांवों में मकानों की कमी बहुत पुरानी चली आ रही है, पर संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटने, पुराने मकान गिरने और नए मकान बनने की धीमी गति के कारण हालात बिगड़े हैं। अन्दाज लगाया गया है कि गांवों में आठ करोड़ मकानों की कमी है। 50 प्रतिशत से अधिक मकानों में केवल एक कमरा है और प्रति मकान 5.53 व्यक्तियों का औसत है जो विदेशों की तुलना में बहुत कम है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अपने कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनाने के अतिरिक्त और कोई विशेष गतिविधि नहीं हुई तो स्वतन्त्रता के पश्चात् भी इस दिशा में धीमे परिवर्तन ही हुए। 1952 में केन्द्र में अलग आवास मन्त्रालय बना, पर आवास की संविधान की सातवीं सूची में व्याख्या नहीं की गई। लोक सभा की

कृष्ण कुमार

अनुमान समिति ने अपनी 37 वीं रिपोर्ट में कहा कि आवास को केन्द्र और राज्यों की मिली-जुली सूची में शामिल किया जाए। केन्द्र ऐसा बिल लाए जिसमें केन्द्र, राज्य सरकारों, वित्तीय व प्रशासनिक एजेंन्सियों के आवास व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों की परिभाषा की जाए जिससे पांचवीं और उसके बाद की योजनाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा सकें।

1957 में राज्यों के आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में कहा गया कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों की आवास आवाश्यकताएं पूरी करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करें, निर्माण सामग्री तथा परिवहन की व्यवस्था करें और ग्रामीण सहकारियों व आवास कार्यों में लगे छोटे उद्योगों के साथ सहयोग करें। 1970 में आवास मन्त्रियों का फिर सम्मेलन हुआ और एक सम्मेलन हाल में समाप्त हुआ है, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। पर प्रस्तावों से कहां काम चलता है ? इस साल भी राज्य सरकारों के बजटों में ग्रामीण आवास के लिए बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है। जो की गई है, वह भी धन पूरा लग पाएगा, इसकी गारण्टी नहीं। योजनाओं में किसी प्रकार कटौती हो तो आवास योजनाओं को सबसे पहले उनका शिकार बनना पड़ता है। [शेष आवरण IV पर

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467 कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक :
पी० श्रीनिवासन

स० सम्पादक :
महेन्द्रपाल सिंह

उप सम्पादक :
त्रिलोकीनाथ

आवरण पृष्ठ :
गुरचरण अरोड़ा

कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 — श्रावण 1974 — अंक 10

इस अंक में

शहरों में गगनचुंबी इमारतें, गांवों में सिर छिपाने को मढ़ैया तक नहीं **कृष्ण कुमार**	आवरण 2
विशिष्ट रोजगार योजनाओं का मूल्यांकन **डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल**	3
उत्तर प्रदेश में हरिजनोत्थान के बढ़ते चरण **छेदीलाल साथी**	6
अनिर्णय की स्थिति प्रगति में बाधक क्यों ? **एल० के० सिंहल**	9
विकास कार्य के ताने बाने **रामचन्द्र शर्मा**	11
सघन कृषि जिला कार्यक्रम : उद्देश्य और उपलब्धियां **कुसुम बाजपेयी**	13
सीमावर्ती जिले किन्नौर की पंचायतें **ब्रह्मदत्त स्नातक**	14
ग्रामीण समितियां आत्मनिर्भर कैसे बनें ? **राधाकृष्ण सक्सेना**	16
वनोपज पर आधारित ग्रामोद्योग **नारायण प्रसाद शर्मा**	18
उर्वरकों की कमी कैसे दूर की जाए ? **एस० डी० राय**	20
लघु-उद्योगों का आधुनिकीकरण **पी० एस० अनन्तरामन**	22
कृषि चर्चा-मण्डल (रूपक) **खुर्शीद नवाब**	24
जिन्दगी का मेला (कविता) **रामलाल अहेरवार**	26
सिद्ध पुरुष (कहानी) **रामेश्वर उपाध्याय**	27
साहित्य समीक्षा **कुमारी सुषमा, नरेन्द्र जोशी, विजय कुमार कोहली**	29
पाठकों की राय **ओमप्रकाश चौहान**	31
पहला सुख निरोगी काया **भूदेव वर्मा भिषगाचार्य, डा० एच० एल० चिटकारा**	32

और भी कड़े कदम उठाए जाएं

हाल में कम्पनियों के लाभांश और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के कुछ भाग के खर्च पर रोक लगाने के जो अध्यादेश जारी किए गए उन पर बड़ा बायबैला खड़ा हुआ है। सरकार की ओर से यह साफ-साफ बता दिया गया है कि इन अध्यादेशों का अर्थ न तो वेतनवृद्धि पर रोक लगाना है और न महंगाई भत्तों पर। इनका अर्थ इतना ही है कि भविष्य में जो वेतन वृद्धियां होंगी और जो महंगाई भत्ते बढ़ेंगे उनकी रकम के आधे भाग को खर्च न किया जाए। साथ ही सरकार की ओर से यह भी बता दिया गया है कि कर्मचारियों को जो वार्षिक वृद्धियां दी जाती हैं उन पर इन अध्यादेशों का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे उन्हें मिलती रहेंगी। इसके अलावा, रकम के जिस अंश पर पाबन्दी लगाई जा रही है उस पर भारी ब्याज भी दिया जाएगा। इन अध्यादेशों को जारी करते समय सरकार ने सभी देश-वासियों से अनुरोध किया है कि आर्थिक संकट के इस कठिन समय में मुद्रा-स्फीति को रोकने तथा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो भी कदम उठाए जाएं वे उनमें भरपूर सहयोग और सहायता दें। पर खेद है कि सरकार के इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश में बिद्रोह, उत्पात, हिंसा, लूट और मारकाट करने पर उतारू हो रही हैं।

यह ठीक है कि इन अध्यादेशों के लागू करने मात्र से ही महंगाई और मुद्रास्फीति की विकराल समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इस दिशा में सरकार को कुछ और भी सख्त कदम उठाने होंगे। जरूरत इस बात की है कि जो लोग अन्धाधुन्ध धन कमा रहे हैं उनसे अनिवार्य बचत कराई जाए, काले धन की समस्या को हल करने के लिए सख्त उपाय काम में लाए जाएं, चोरबाजारियों को डंडे के जोर से राहे रास्ते लाया जाए और साथ ही मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को भी रोका जाए।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कीमतें बढ़ने पर ही वेतन वृद्धि की मांग जोर पकड़ती है। कीमतों पर रोक लगाए बिना वेतन वृद्धि पर रोक लगाना अनुचित होगा और इससे कर्मचारियों में असन्तोष पैदा होगा। वस्तुस्थिति यह है कि देश में चीजों की कमी नहीं और व्यापारी लोग बाजारों में बनावटी अभाव पैदा करके चीजों के मुंह मांगे और मनमाने दाम वसूल करते हैं। व्यापारियों की इस प्रवृत्ति को सख्ती से रोकने की जरूरत है।

लाभांश पर जो रोक लगाई गई है उससे उद्योगपति भी बौखला उठे हैं और कहते हैं कि इस तरह की रोक से लोग उद्योगों में पैसा नहीं लगाएंग। पर उत्पादन वृद्धि के लिए उन्होंने भी क्या किया है और उनमें भी क्या मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं है। जब वे देखते हैं कि उद्योगों में पैसा लगाने के बजाए वे व्यापार में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं तो अपना धन व्यापार में लगा देते हैं। शेयरों के मूल्यों पर इस समय लाभांश की जो व्यवस्था है वह क्या कुछ कम है। अतः जरूरत है कि उनकी भी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को रोका जाए। दो साल के भीतर ही मुद्रास्फीति पर काबू पाने का सरकार का इरादा है पर यह तभी पूरा हो सकता है जब कि जो कदम उठाए जाएं उन्हें सख्ती से अमल में लाया जाए और देश के सभी लोग इस दिशा में सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दें।

महेन्द्रपाल सिंह

विशिष्ट रोजगार योजनाओं का मूल्यांकन

डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल

भारत में बेरोजगारी के अनेक रूप हैं। इनमें खुली बेरोजगारी आंशिक बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगारी, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी और औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। वैसे तो सभी प्रकार की बेरोगारी हमारे जैसे एक विकासशील देश के सामने एक भारी चुनौती हैं, इसमें सर्वाधिक गम्भीर और जटिल समस्या ग्रामीण अल्प रोजगार की है। इस प्रकार की समस्या का सबसे बुरा प्रभाव छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मज़दूरों पर पड़ता है। देश की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत अर्थात् 44 करोड़ गांवों में बसता है, जिनमें से 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। 1 करोड़ 50 लाख भूमिहीन खेतिहरों को मिला कर देश में 11 करोड़ से अधिक किसान ऐसे हैं, जिनके पास जोतने के लिए 5 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और जो अत्यन्त ही निर्धनता की दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीणों को वर्ष में 128 से लेकर 196 दिन तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इतनी बड़ी जनशक्ति का इतना बड़े पैमाने पर बेकार रहना और अपव्यय होना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है।

स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल रोजगार का प्रबन्ध करना महत्वपूर्ण है, साथ ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें रोजगार को बनाए रखा जा सके। सच्चाई तो यह है कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों को आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसे परिवर्तन लाना भी आवश्यक है जिनसे इन वर्गों का आय स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। आय स्तर ऊंचा करने के लिए पंजी के सृजन पर बल देना उतना ही आवश्यक है, जितना कि तात्कालिक रोजगार के सृजन पर।

निर्बल की आशा

गांवों में बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत 46 परियोजनाएं और सीमान्त किसानों तथा खेत मजदूरों के लिए 41 परियोजनाओं को चौथी योजना में स्वीकृति दी गई। छोटे किसानों के अन्तर्गत वे किसान आते में जिनके पास एक हैक्टर से तीन हैक्टर तक भूमि होती है और एक हैक्टर से कम भूमि का स्वामी सीमान्त किसान माना गया है। इन कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना में 1 अरब 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। छोटे किसानों को सिचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, विपणन, भण्डारण, साख आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमान्त कृषकों को डेयरी, मुर्गीपालन, सूअर-पालन, भेड़ पालन आदि द्वारा वर्ष भर का विनियोजन प्रदान करना इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। अनुमान है कि चौथी योजना में लगभग 23 लाख छोटे किसानों और 6 लाख सीमान्त किसानों को स्वयं रोजगार की योजनाओं से लाभ पहुंचा होगा और 60 हजार सीमान्त किसानों को फसल के दिनों के अलावा ग्रामीण निर्माण कार्य से प्रत्यक्ष रोजगार भी मिल सका होगा। वस्तुतः 2 लाख से भी अधिक खेत मजदूरों को समय-समय पर इस प्रकार का काम मिलता रहा होगा।

पूरक आय

छोटे किसानों के लिए शुरू की जाने वाली योजना का लक्ष्य थोड़ी सहायता देकर छोटे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाना है। यह सहायता आदानों तथा ऋण के रूप में होती है। इससे किसान नए बीजों और खादों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती सम्बन्धी गतिविधियों को विविध रूप प्रदान कर सकते हैं। एजेंसी का ध्येय ऋण देना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान संस्थाओं को ऋण देने के लिए प्रेरित करती है। जहां तक आदानों का सम्बन्ध है, एजेन्सी वितरण की सक्षम प्रणाली की स्थापना करके सम्बद्ध संस्थानों की सहायता करती है। इसे भारी पूंजीगत निवेश और कई अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता देने का अधिकार है। छोटी जोत वाले किसान पूरक आय के बिना गुजारा नहीं कर सकते। अतः इस योजना से किसानों के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे मजदूरी पर काम करने वाले कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त रोजगार और पूरक आय उपलब्ध होगी।

सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी योजना के भी वही लक्ष्य है जो छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के हैं, भेद केवल इतना है कि यह योजना छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत न आने वाले अन्य छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए है। इसलिए यह छोटे किसानों की विकास एजेंसी की पूरक है। ग्रामीण कार्यों के माध्यम से कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और छोटे किसानों को उसी प्रकार ऋण, आदान तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिस प्रकार वे छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है, इस योजना का लक्ष्य है। पूंजी निवेश के लिए आर्थिक सहायता की दर सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सी के लिए 33.3 प्रतिशत है जबकि छोटे किसानों

की विकास एजेन्सी के लिए यह 25% है। आपात निधि में योगदान के लिए भी यह व्यवस्था है। प्रत्येक जिले में 20,000 किसानों और कृषि श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता पहुंचाई जाएगी।

मार्ग में बाधाएं — इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाता तो छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा में उत्साहवर्धक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते। योजना विशेषज्ञों ने जिन परिणामों की कल्पना की थी वे व्यावहारिक न होकर सैद्धान्तिक बन कर रह गए। हाल में किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस दिशा में हुई प्रगति बहुत धीमी रही है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफलता नहीं मिली। सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों की विकास एजेन्सी के लिए मार्च 1973 तक 12.52 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया परन्तु केवल 8.86 करोड़ रु० (लगभग 71 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। कुछ राज्यों में जैसे असम, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में इस कोष का उपयोग और भी कम हो सका है। केरल, मेघालय तथा संघ शासित दिल्ली जैसे राज्यों ने अपने कुल कोष के एक चौथाई भाग का उपयोग करने में भी सफलता प्राप्ति नहीं की। कुछ आलोचकों का मत था कि प्रशासनिक तथा संचालन सम्बन्धी व्यवधानों के कारण प्रगति धीमी रही है। परन्तु 1972-73 में भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गोवा जैसे नौ राज्यों में कोष का उपयोग अखिल भारतीय औसत स्तर से नीचा था। इसके विपरीत इन राज्यों में कमजोर वर्ग की आर्थिक दशा शोचनीय है और विशिष्ट रोजगार योजनाएं बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। अतएव इस विरोधाभास के कारण यह निष्कर्ष निकाला जाए तो अनुचित न होगा कि या तो प्रस्तावित योजनाएं लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है या इनका क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। वास्तव में यह दोनों दोष देखने को मिलते हैं।

किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाया गया है उस एजेन्सी में उस वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में हो जिससे उसका लाभ उन्हीं को प्राप्त हो सके। इस आधार की कसौटी पर कसने से विकास एजेन्सी खरी नहीं उतरी। यह एजेन्सी उन सदस्यों का चयन करने में असमर्थ है जिन्हें सीमान्त कृषक तथा खेतहिर मजदूर कहकर पुकारा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि विकास एजेन्सी से लाभान्वित होने वाले कुल सदस्यों में से केवल 30 प्रतिशत वास्तव में इस वर्ग से सम्बन्धित बताए जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में यह अनुपात 12 प्रतिशत है।

इन योजनाओं का एक अन्य दोष यह बताया जाता है कि खेतिहर मजदूरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना इन योजनाओं को बना दिया गया है जिससे लोग इन कार्यक्रमों की सीमा से बाहर रहते हैं।

इसके अतिरिक्त जिन लोगों का चयन किया जा चुका है उनमें से केवल 41 प्रतिशत को सहकारी क्षेत्र में लाया गया है। असम, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मैसूर, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में यह अनुपात 29 प्रतिशत ही है।

एक अन्य कठिनाई यह है कि अब तक 9.65 लाख व्यक्तियों का चयन किया गया है जिनमें से केवल 3.81 लाख व्यक्तियों को किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार इस योजना से बहुत कम लोगों को लाभ मिल सका है जो एक गम्भीर बात मानी जा सकती है।

ऐसी धारणा थी कि इन कार्यक्रमों से सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को पूरक आय प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कुल चयन किए गए सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों में से केवल 17 प्रतिशत को पम्पसेट, दुधारू पशु, तथा मुर्गियां खरीदने के लिए ऋण प्रदान किए गए। साथ ही ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी केवल 10 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सका।

स्पष्ट है कि लघु किसानों, सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति के उपरान्त भी विकास एजेन्सी सफलतापूर्वक एवं लाभप्रद ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। इसके अनेक कारण हैं।

नए माप दण्ड — सबसे प्रमुख कारण है सदस्यों का चयन करना। विभिन्न राज्यों ने विभिन्न मापदण्ड अपनाए हैं। कृषकों का चयन करने के लिए भू-जोत को मापदण्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। परन्तु सर्वविदित है कि किसी भी राज्य में भूमि सम्बन्धी कागजात पूर्ण नहीं हैं और इन एजेन्सी के पास ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जो ग्राम-ग्राम जाकर उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकें। परिणामस्वरूप जिला विकास अधिकारी रेवेन्यू विभाग-द्वारा तैयार की गई सूची पूर्णतः अपूर्ण एवं अविश्वसनीय रहती है। इस प्रकार इन योजनाओं में सच्चे सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। अम्बाला जिले में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों के लिए शुरू किए कार्यक्रमों में 75 में से 50 व्यक्तियों के पास 7.5 एकड़ से अधिक जोत थी, उनमें से कुछ के पास एक ट्यूबवैल है परन्तु उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अन्य ट्यूबवैल लगाने के लिए और ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिए हैं। ऐसा वे इसलिए कर पाते हैं कि अधिकतम जोत की सीमा से बचने के लिए उन्होंने अपनी भूमि को परिवार के सदस्यों में विभाजित कर दिया है और वे छोटे-छोटे किसान के रूप में कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं जो वास्तव

में उनके लिए न होकर छोटे-छोटे किसानों के लिए शुरू किए गए हैं।

अतएव इस दोष को दूर करने के लिए मापदण्ड में संशोधन करना होगा। सदस्यों का चयन करने और ऋण आदि सहायता देने के लिए स्वामित्वाधीन भूमि के माप के स्थान पर उसे भू-क्षेत्र को माप के रूप में माना जाए जिन पर खेती की जाती है।

इन नई योजनाओं का इस दृष्टि से मूल्यांकन करना भी लाभप्रद रहेगा कि उनसे पूरक आय में किस सीमा तक वृद्धि सम्भव हो सकी है। इस सम्बन्ध में हम यहां कार्यक्रमों का विश्लेषण करेंगे। मुर्गीपालन तथा पशुपालन : इस योजना के अन्तर्गत मुर्गीपालन के लिए ऋण दिए जाते हैं जिससे उनकी अतिरिक्त वार्षिक आय 1,000 रु० हो जाए। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में मुर्गीपालन का पेशा अपनाना एक सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर के लिए कठिन होगा। इस कार्य को करने के लिए उसके पास समुचित ज्ञान नहीं होता। इसके अतिरिक्त पक्की सड़कों की कमी, अण्डे व चूजों की कम संख्या तथा इनके मांग-क्षेत्र का गांव-केन्द्र से दूर होना आदि अनेक कठिनाइयों के कारण इनकी विपणन व्यवस्था बहुत ही मंहगी तथा समय नष्ट करने वाली होती है। साथ ही इस पेशे को अपनाने वाले को हीन समझा जाता है। कुल मिलाकर इन असुविधाओं के कारण इन एजेन्सियों ने केवल 2,220 मुर्गीपालन इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में एक इकाई की स्थापना हो सकी है। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं रही।

इसी प्रकार डेरी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए 300 रु० से लेकर 1,800 रु० तक ऋण तीन वर्ष के लिए दिए जाते हैं। चूंकि यह ऋण सहकारी डेरी संस्थाओं को दिए जाते हैं, इसलिए ऋण धनी वर्ग को ही प्रायः प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऋण डेरी उद्योग में न लगाकर अन्य कार्यों में भी लगा लिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में दूध को बेचने की समस्या आती है। दूध की मात्रा कम होने के कारण शहरों में ले जाना बहुत मंहगा व समय नष्ट करने वाला उद्योग लगने लगता है। साथ ही इससे पूरक आय भी अधिक आकर्षक नहीं बन पाई है। मार्च 1973 तक 15,281 दूधारू पशुओं को खरीदने के लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु में कुछ लोकप्रिय हुआ है।

सहकारी साख व्यवस्था भी इन सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। डा० अशोक मेहता तथा श्री बी० शिवारमन द्वारा बिहार व उत्तर प्रदेश में किए गए अध्ययनों से भी यही स्पष्ट होता है कि सहकारी साख व्यवस्था इन छोटे किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रही है जिसके फलस्वरूप उन्हें महाजनों के चंगुल में फंसना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमान्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका कारण विकास एजेन्सियों की दोषपूर्ण संरचना भी है। इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, जिला कृषि अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग तथा उद्योग अधिकारी का सहयोग अपरिहार्य होता है परन्तु वे ऐसी योजनाओं के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखाते हैं। अतः आवश्यकता है कि सरकार निर्बल, निर्धन तथा शोषित वर्ग की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय अपनाए जिससे इनका चयन सम्भव हो, योजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएं तथा इनका लाभ भी इसी वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हो जाए।

9-एच, नवीन शाहदरा
दिल्ली-1100032

"हिन्दुस्तान आज गहरी नींद और संघर्ष के बाद जागा है, आजाद हुआ है। हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। हमारे लिए इतिहास फिर नए सिरे से आरम्भ हो रहा है। आज का दिन हमारे लिए, एशिया के लिए, और बाकी दुनिया के लिए बहुत महत्व का है। आज एक नया नक्षत्र उग रहा है। एक नई आशा उभर रही है और हमारा बहुत दिनों का सपना पूरा हो रहा है। हमारी यह चाह है कि यह नक्षत्र कभी न डूबे और हमारी आशा फलती-फूलती रहे। संकटों से घिरे होने पर भी आज हम प्रसन्न हैं।"

—जवाहर लाल नेहरू

उत्तर प्रदेश में हरिजनोत्थान के बढ़ते चरण

छुआछूत एक सामाजिक अभिशाप है और इसका हल राष्ट्रीय पैमाने पर होना ही चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 1917 से इस बुराई को समाज से मिटाने के लिए प्रस्ताव पास करती रही है और गांधी जी जैसे राष्ट्र नेता भी इस दिशा में बराबर प्रयत्नशील रहे। बाबा साहब डा० अम्बेडकर सरीखे नेता इस समस्या से सारा जीवन जूझते रहे पर यह बुराई समाज से मिट गई हो, ऐसी बात नहीं है।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ उसके अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 (4), 56, 164 (1) प्रोविजो, 330, 332, 334, 335, 338, 341 व 342 आदि में छुआछूत को दूर करने तथा अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास के लिए अनेकानेक व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके अनुसार समय समय पर काफी काम हुआ है और अब भी होता रहता है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाकर उसमे दण्ड की व्यवस्था की गई।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 903 करोड़ 37 लाख का है जिसमें 45 करोड़ 11 लाख का घाटा है। 16 करोड़ 70 लाख का घाटा इस वर्ष का है और 28 करोड़ 81 लाख का घाटा गत वर्ष का है। इस घाटे में 30 करोड़ 81 लाख का घाटा नए टैक्सों से पूरा होने का अनुमान है। फिर भी 1974-75 के बजट में हरिजनोत्थान की मद पर 14 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि गत वर्ष 1973-74 के बजट में इस मद पर केवल 11 करोड़ रुपया ही था।

उत्तर प्रदेश में हरिजनोत्थान सम्बन्धी कार्यों के लिए अलग से एक मन्त्रालय व निदेशालय 1947-48 से ही काम कर रहा है। हरिजनों के बहुमुखी विकास की योजनाएं इसी निदेशालय द्वारा बनती व कार्यान्वित होती हैं। जिला स्तर पर सारे प्रदेश में एक जिला हरिजन कल्याण अधिकारी भी काम करता है।

सभी हरिजन छात्रों को पूरे वर्ष बिना फीस के आरम्भिक कक्षा से लेकर उच्चतम कक्षा तक पढ़ने की सम्पूर्ण प्रदेश में पूरी सुविधा तो है ही उन्हें अभी तक हाई स्कूल तक विभिन्न कक्षाओं में जो वजीफे मिलते थे, मंहगाई को देखते हुए इस वर्ष के बजट में उनकी रकम को ड्यौढ़ा कर दिया गया है और 10वी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए पहले से मिलने वाली रकम जुलाई 74 से दूनी कर दी गई है। हरिजन छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर

छेदी लाल साथी

बहुगुणा सरकार ने सभी छात्रावासों में 19 प्रतिशत आवास स्थान हरिजनों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसके अलावा, भी उनके लिए अलग अलग छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है। कहीं कहीं तो केन्द्र की सहायता से हरिजन छात्रों को वजीफा व रहने की सुविधा के साथ ही उन्हें मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है जिसमें इन्टर, बी०ए०, एम०ए० तक की कक्षाओं के छात्र लाभान्वित होते हैं।

तकनीकी शिक्षा हासिल करने में भी उनको यही सब सुविधा उपलब्ध है। रोजगार योग्य बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें हिन्दी-अंग्रेजी टाइपिंग व शार्टहैंड मुफ्त सिखाने की व्यवस्था है। पी० सी० एस० व आई० ए० एस० की परीक्षाओं में हरिजन स्नातक दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में आ सकें उसके लिए इलाहाबाद में विशेष शिक्षा देने के लिए कोचिंग इन्स्टीट्यूट कायम है जहां सैकड़ों हरिजन शिक्षित युवक लाभान्वित हुए हैं और आज भी हो रहे हैं।

हरिजनों पर आए दिन बढ़ते सामाजिक अत्याचारों को देखकर बहुगुणा सरकार ने नवम्बर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक पुलिस सिपाहियों के पद पर 50 प्रतिशत की भरती का एलान करके तीन हजार में से डेढ़ हजार हरिजन जवानों को सिपाहियों के पद पर भर्ती किया है। अभी तक ज्यादातर हरिजन थानेदार थाने पर सैकेन्ड आफिसर रहते थे। अब मौजूदा सरकार के आते ही कितने ही हरिजनों को थानाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अभी तक कितने ही आई० पी० एस० हरिजन पुलिस अधिकारियों को सी०आई०डी०, होम गार्ड, पी०आर०डी० आर्म्ड फोर्स, पुलिस ट्रेनिंग व रेलवे आदि में तैनात कर रखा गया था।

बहुगुणा सरकार ने महसूस किया कि अगर इन हरिजन पुलिस अधिकारियों को सीधे सिविल पुलिस में जिले का इन्चार्ज बना कर पुलिस शासन सुपुर्द कर दिया जाए तो इससे हरिजनों पर होने वाले आए दिन के अत्याचारों का कुछ निदान हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हरिजन आई० पी० एस० अधिकारी, पुलिस कप्तान होकर पुलिस प्रशासन को सफलता से चला रहे हैं और आशा की जाती है कि इससे जिलों में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में कमी निश्चित रूप से होगी।

हरिजनों पर आए दिन मार, बेगार व अत्याचार बन्द हों और वह वर्ग संघर्ष से बच कर एक शान्तिमय नागरिक का जीवन बसर कर सके उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से ही एक डी० आई० जी० पुलिस की देखरेख में पुलिस सेल खोला है। इसका काम एकमात्र

हरिजनों की आए दिन की समस्याओं को देखना और गांवों में वर्ग संघर्ष से बचा कर उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन बसर कराना है।

इस सेल से हम जितनी आशा कर रहे थे उतनी तो पूरी नहीं हुई उसका एक कारण यह भी है कि उसे उचित पुलिस स्टाफ नहीं मिल पाया है, फिर भी इस पुलिस सेल से 10-15 प्रतिशत हरिजनों को राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर इस सेल के अन्तर्गत काम करने वाले पुलिस अधिकारी हरिजन समस्या को अपना राष्ट्रीय व पुनीत धर्म समझ कर जातीय पक्षपात व अन्य लालच से अलग रहकर सुधारवादी उद्देश्य व सेवाभाव से सुलझाएं और अपने पद का सदुपयोग करें तो इतने कम स्टाफ से भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। सामाजिक सेवा की भावना से काम करने से हरिजनों को काफी लाभ पहुंच सकता है और तभी इस सेल के खोलने का उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। वर्तमान बहुगुणा सरकार ने विशेष आदेश जारी करके 323 भारतीय दण्ड विधान के क्षेत्र में हरिजनों के मामले में पुलिस द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे हरिजनों को बहुत राहत मिलेगी और अब पुलिस हरिजनों के मामलों में आंख नहीं बचा पाएगी।

मुझे बांदा, मिर्जापुर आदि कितने ही इलाकों में हरिजन समस्या के सम्बन्ध में जाने का मौका मिला। एक बार तो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रीमती एम० चन्द्रशेखर एम० पी०, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महा मन्त्री तथा केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग की भूतपूर्व मन्त्री भी हैं, को बांदा में व्याप्त हरिजन उत्पीड़न की जांच के लिए भेजा। मैं भी उनके साथ था। वहां आज भी हरिजन हरवाहों को 6 पैसा व दो आना की मजदूरी भूतपूर्व जमींदार व व बड़े किसान देते हैं और काम न करने व उनके विरुद्ध आवाज उठाने पर गांव से उजाड़ देना, जान से मार देना, घर फूंक देना, हरिजनों के बच्चे, जवान औरत तथा बहिन को जबरिया उठा कर गायब कर देना और उन्हें बेच देना एक आम बात है। बाप की शादी में हरिजन को कर्ज देने पर उसी शादीमें आई पत्नी से उत्पन्न पुत्र से जवान होने पर ब्याज के रूप में सारा जीवन उससे जबरिया बेगार लेना और मना करने पर हजारों रुपये का बाप का कर्ज अदा करने की धौंस देकर उनके साथ मार पीट करना एक हरिजन के लिए आम बात है। सादे प्रोनोट पर बिना रकम व तारीख लिखे हरिजनों से अंगूठा लगवा कर नाममात्र को कर्ज देकर सारा जीवन पूरे हरिजन परिवार को अपनी सेवा में बैल की तरह जोते रखना बांदा, मिर्जापुर आदि जैसे स्थानों और प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रचलित रिवाज सा बन गया है।

श्रीमती चन्द्रशेखर ने इस तरह के व्याप्त ऋण के शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए एक कानून द्वारा हरिजनों के ऐसे सारे ऋणों को खत्म करने का सुझाव प्रधान मन्त्री को दिया। प्रसन्नता की बात है कि बहुगुणा सरकार इस विषय पर शीघ्र ही एक बिल लाकर कानून बनाने जा रही है जिससे हरिजन बाप-दादों के ऋण से सदा के लिए छुटकारा पा सकेगा। हरिजनों के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी।

जून, 1974 में एक नए भूमि अधिनियम द्वारा मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लाखों हरिजनों को बेघर होने से सुरक्षित कर दिया जो अपनी कई पीढ़ियों से जिस भूखण्ड पर मकान बनाकर तो जरूर रह रहे थे पर वह भूमि सरकारी कागजात में उनकी न होकर भूतपूर्व जमींदार के नाम बाग के रूप में दर्ज थी और इसके एवज में इन हरिजनों को उक्त भूतपूर्व जमींदारों की मार, बैगार, धौंस का नित्य शिकार होना पड़ता था और हुक्म न मानने पर कई पुश्तों से आबाद अपने मकानों में रहने वाले लाखों हरिजनों को उनके मकानों से दिन दहाड़े निकाल दिया जाता था या ट्रैक्टर चला कर मय सारे सामान के मकानों को जमीन में मिला दिया जाता था और उन्हें उजाड़ दिया जाता था। चूंकि सरकारी कागजात में हरिजनों का कहीं नाम नहीं होता था, अतः उस ज्यादती के खिलाफ उन्हें कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता था। इस नए भूमि कानून से अब हरिजन अपने मकानों में सुख की नींद सो सकेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा गृह-विहीन हरिजनों को 5,750 मकान बनाकर उन्हें देने की व्यवस्था थी। उसी आधार पर विभिन्न जिलों में सरकार द्वारा मकान बनाकर हरिजनों में भी निम्नतम स्थिति रखने वाले हरिजनों को वे मकान आबण्टित कर दिए जाएंगे। कई जिलों में तो किए भी जा चुके हैं।

गृहविहीन हरिजनों को गांव सभा की परती बंजर जमीन में से 150 वर्ग-मीटर प्रति परिवार देने की सरकार की निश्चित योजना है। 11 जून, 74 को पेश होने वाले बजट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया कि अप्रैल, 74 तक 9,23,000 परिवारों को 74,818 बस्तियों में 14 हजार हैक्टेयर भूमि बांटी गई। इस वर्ष 2 लाख 29 हजार अतिरिक्त परिवारों को रिहाइश के लिए भूमि बांटने का सरकार का पक्का इरादा है और यह भी निश्चय किया गया है कि अगर ग्रामसभा की जमीन न मिली तो उक्त गांवों में हरिजनों को आवास के लिए लोगों से जमीन खरीद कर दी जाएगी और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। 744 कुएं हरिजन बस्तियों में बनाने की भी इस वर्ष व्यवस्था है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 8 हजार हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में 860 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया जाएगा।

अभी तक जूता बनाने वाले हरिजन भाइयों पर कुटीर उद्योग होते हुए भी बिक्री कर लगता था। अपढ़ और गरीब होने के कारण बिक्री कर की मार से हजारों जूता बनाने वाले हरिजन उत्तर

[शेष पृष्ठ 8 पर

कृषि स्नातकों के लिए अपना रोजगार

यदि एक कृषि स्नातक के पास दो से चार हैक्टेयर भूमि हो, तो उसे 5 से 10 हजार वार्षिक आमदनी हो सकती है। गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ऐसे स्नातकों के लिए अपने रोजगार की एक योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि स्नातकों को रोजगार देना तथा किसानों में नई प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए विस्तार-कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। ये स्नातक अपने-अपने गांवों में बस कर किसान, विस्तार कर्मचारी व कृषि-सामग्री विक्रेताओं के रूप में काम कर सकेंगे।

सुधरी हुई तकनीकों को व्यवहार में लाने के अलावा ये स्नातक बेहतर किस्म के बीज, खाद्य तथा अन्य कृषि सामग्री भी बेचेंगे। वे किसानों की वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बारे में परामर्श देंगे तथा सामान्य किसानों को आधुनिक मशीनें व उपकरण उपलब्ध कराएंगे, जो आम किसानों की न तो सामर्थ्य में ही होते हैं और न ही पहुंच में।

खेती में होने वाली आय के अलावा ऐसे स्नातक बीज, खाद, कीटनाशक औषधियों तथा छोटे-छोटे कृषि उपकरणों को बेचकर उतनी ही आमदनी और प्राप्त कर सकते हैं। जुताई, जमीन समतल करने, बुवाई, कीट और खरपतवार-नाशक औषधियों के छिड़काव, कटाई, परिवहन सेवाएं आदि किसानों को उपलब्ध कर वे अपनी आय और भी बढ़ा सकते हैं।

इस योजना के लिए एक स्नातक की लगभग 47,500 रु० की आवश्यकता होगी, जिसमें से 90 प्रतिशत किसी भी वाणिज्यिक बैंक से कर्ज के रूप में प्राप्त किया जा सकता है तथा ऐसे स्नातक को शेष राशि अपने पास से लगानी होगी।

भैंसों की अपनी नस्ल के कारण देश भर में विख्यात हरियाणा में अब ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से पशु-सम्पदा का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। डेरी विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, ताकि उत्पादकों को अच्छा लाभ मिल सके तथा बिचौलियों के द्वारा किए जा रहे शोषणों को समाप्त किया जा सके।

राज्य में दुधारू पशुओं की भरमार है तथा पशु-नस्लों व दुग्ध उत्पादन की दिशा में विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। इस योजना के अन्तर्गत संकरण और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्लें सुधारने का भी कार्यक्रम है। भिवानी में विदेशी पशुओं का एक फार्म स्थापित किया जा चुका है, जिसके लिए 40 जर्सी-पशुओं का आयात किया गया है। इनमें से 15 पशुओं का संकरण के लिए उपयोग किया जाएगा।

चार दुग्ध संयन्त्र तो पहले ही चालू हो चुके हैं, जबकि चौथा संयन्त्र रोहतक में लगाया जा रहा है। जींद के संयन्त्र की दैनिक क्षमता 15 हजार लिटर है तथा वहां घी, मक्खन और दुग्ध-चूर्ण तैयार किया जाता है। भिवानी संयन्त्र की प्रतिभारी क्षमता 15,000 टन है तथा इसमें मीठा सघनित (कंडेंस्ड) दुग्ध तैयार किया जाता है। अम्बाला-स्थित तीसरे संयन्त्र की दैनिक क्षमता 20,000 लिटर है, जिसे 40,000 लिटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। यह संयन्त्र अम्बाला छावनी तथा अम्बाला शहर के निवासियों को पुष्टिकारक दूध सप्लाई करता है।

इन संयन्त्रों द्वारा समूचे दुग्ध-क्षेत्र के उत्पादकों को लाभ मिलता है तथा ऐसे लोगों की संख्या भी भारी है जिन्हें न केवल इन संयन्त्रों में अपने बेसी उत्पादन को यहां बेचने की सुविधा मिलती है, अपितु उन्हें इस बिक्री से लाभ भी मिलता है। इसके अलावा वे बिचौलियों के शोषण से भी बचे रहते हैं।

उत्पादक वर्ग सहकारी दुग्ध सप्लाई संस्थाओं के माध्यम से दूध की वसूली से सम्बद्ध है। इस समय ऐसी 582 संस्थाएं चालू हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में पानीपत, सिरसा और फरीदाबाद में तीन और दूध संयन्त्र स्थापित किए जाने हैं तथा कैथल और नारनौल में दो ग्रामीण डेरी व वितरण केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।

[पृष्ठ 7 का शेषांश]

प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग गए थे। इस वर्ष से जूता बनाने वाले हरिजनों पर से बिक्री कर खत्म कर दिया गया है जिससे इस उद्योग में लगे लाखों हरिजनों को राहत मिलेगी और वह अपने जूता व्यवसाय को और बढ़ा सकेंगे।

चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इसमें लगे हरिजन कारीगरों को उचित दाम पर कच्चा माल मिलने तथा उनके तैयार माल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक चमड़ा निगम बनाने की वर्तमान सरकार ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है जिससे चमड़ा उद्योग में लगे हजारों लोगों (कारीगरों) को लाभ पहुंचेगा।

ये है हरिजनों के लिए कुछ उपलब्धियां जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही हैं।

छेदीलाल साथी
एडवोकेट, एम० एल० सी०
महामन्त्री, उत्तर प्रदेश
कांग्रेस कमेटी, लखनऊ

अनिर्णय की स्थिति प्रगति में बाधक क्यों ?

एल० के० सिंहल

समुदाय और समाज की प्रगति व्यक्ति के विकसित व्यक्तित्व पर निर्भर है। आज संसार मे जितने भी प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी प्रक्रिया और पाठ्य अथवा ग्राह्य सामग्री और साधन चाहे विविध और भिन्न हों किन्तु उनका उद्देश्य केवल यह है कि व्यक्ति का जीवन ऐसा क्रियाशील बना दिया जाए जिससे वह अपने आसपास के वातावरण, कार्यकलापों, विभिन्न संगठनों, सामयिक अवसरों और नवीन लाभकारी सम्भावनाओं में गतिशील होकर भाग ले सके तथा स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकने की क्षमता प्राप्त कर सके। शीघ्र निर्णय लेना एक परिपक्व व्यक्तित्व-संगठन का गुण है। कोई व्यक्ति निज के कार्य अथवा सौंपे गए कार्य में, विभिन्न समस्याओं के भंवर में कितना सफलतापूर्वक निर्णय ले सकता है, उससे व्यावहारिक सन्तुलन सम्पन्न वैयक्तिक गुणों और दूरदर्शिता को दर्शाता है। निर्णय लेने के कुछ विशिष्ट मुद्दे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित नहीं हैं। सेना का सिपाही, खेत का किसान, छोटे उद्योग का संचालक, नौकरी के क्षेत्र में कोई कर्मचारी, छोटे व्यवसाय में कोई भी व्यापारी छोटी अवधि अथवा बड़ी अवधि के स्वतन्त्र निर्णय के दायित्व को सम्भाल सकता है।

पृष्ठभूमि

यदि निर्णय लेने की अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क और मन का अध्ययन किया जाए तो उसकी स्थिति का रेखाचित्र ऐसा होगा जैसे किसी बच्चे की स्लेट पर पड़े स्लेट बत्ती के गहरे हल्के निशान। अनेकों उद्वेगों, संवेगों, ऊहापोहों, सम्भावनाओं, शंकाओं, प्रश्नोत्तरों, तुलनाओं, समताओं, भय और उत्साह की छायाओं, मान, अपमान, स्वाभिमान अव्यक्त और अदृश्य आश्रयो का एक द्वन्द्व निर्णय लेने की अवस्था में उपस्थित होता है। मनोविज्ञान जगत में सुरक्षा को प्राणी की मूल प्रवृत्तियों में विशेष स्थान दिया गया है। सुरक्षा के अन्तर्गत शरीर की सुरक्षा, सम्पत्ति अथवा लाभ की सुरक्षा वर्तमान सुविधाओं और साधनों की सुरक्षा की बातें आ सकती हैं। अनिर्णय की स्थिति तब आती है जबकि व्यक्ति अपने चारों ओर अनिश्चय, भय और असमानताओं को देखता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के स्वरूप को मानसिक दुर्बलताओं से ग्रस्त समझना चाहिए। ऐसे जनों में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए पार्श्व आधारों की आवश्यकता होती है, यथा कोई व्यक्ति निर्णय लेने वाले व्यक्ति की ओर से गवाह, जामिन या साझी बनने को तैयार हो तो दुर्बल मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति निर्णय ले सकता है। अनिर्णय की स्थिति में मनुष्य बहुत से लाभप्रद अवसरों को गंवा देता हैं। उपलब्ध प्रेरणा स्रोत के अन्तर्गत निर्णय ले सकने का सबसे बड़ा और स्वाभाविक माध्यम दल के व्यवहार में है। यदि कुछ स्वतन्त्र निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के निकट सम्पर्क में किसी दुर्बल मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को सहज रूप से रखा जाए तो वह निर्णय लेने में प्रगति कर सकता है। कभी-कभी स्वतन्त्र निर्णय लेने के साथ शीघ्र निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न होती है। वहां तीव्र तरंगित उत्साह वाला व्यक्ति सफल हो सकता है। यह सदा आवश्यक नहीं कि "सुरक्षा" से ही प्रत्येक व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ हो अपितु समाहित करने की क्षमता और विकल्प की सूझ भी निर्णय के क्षेत्र में आधार हो सकती है।

निर्णय लेने से पूर्व आन्तरिक कारण और बाह्य कारण निज और परहित पूर्वजीवन विधा और परवर्ती जीवन विधा आदि अनेकों समालोचन बिन्दू आ उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में गम्भीर विचार विमर्श की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रकार निर्णय गुणों के आधार पर लिया जाता है। जिस ओर लाभांक अधिक हुए निर्णय की, तुला उधर झुक जाती है।

कभी कई व्यक्तियों को कहते सुना जाता है कि "मैं" अपने मामलों में निर्णय कठिनाई से ले पाता हूं, हां किसी अन्य व्यक्ति को उसके मामलों में उचित परामर्श दे सकता हूं और ये परामर्श निर्णय के लिए खरे उतरते हैं। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि किसी अन्य व्यक्ति के परिवेश में निर्णय की प्रक्रिया एक ऐसा कर्म है जहां अपनत्व का स्थान नहीं। वहां भय, संघर्ष, द्वन्द्व अन्य व्यक्ति को इतना आक्रान्त नहीं करते जितना स्वयं निर्णय लेने में। अतः निष्कर्ष यह निकला कि सही और प्रामाणिक निर्णय वह होगा जिसमें निराधार भय मिश्रित आशंकाओं का समावेश न हो और वह एक स्वस्थ और शान्त चित्त से पूर्ण व्यावहारिक वृद्धि से महत्वाकांक्षी अथवा हीनभाव से परे होकर लिया गया हो।

आज के प्रगतिशील और विकासशील युग में प्रौढ़ों के सामने निर्णय लेने का एक दायित्व उपस्थित हो रहा है। शहरी जीवन की ओर मोड़ अथवा ग्रामों का शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, स्थानान्तरण, विनिमय, पूंजी लगाना मुख्य कार्य के अतिरिक्त रिक्त समय में अन्य कार्य (जो आय बढ़ा सकते हैं) आदि ऐसे पहलू हैं जिनमें शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। शीघ्र निर्णय लेने से केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा अवसरों का उचित लाभ उठाया जा सकता है और इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ राष्ट्रीय उन्नति भी हो सकती है।

संक्षिप्त अध्ययन

'अ' व्यक्ति को स्थानीय सरकार

की ओर से यह प्रस्ताव आया कि वह अपना मौजूदा आवास यदि छोड़ना चाहे तो उसे एक और सुप्रतिष्ठित खुले और लोक प्रशंसित बस्ती में आवास बदले में मिल सकता है। इस निर्णय के लिए 'अ' महाशय को छः दिन का समय मिला। जब महाशय ने इस प्रस्ताव की चर्चा अपने हितैषियों से की तो उन्होंने इस परिवर्तन का अभिनन्दन किया और परामर्श दिया कि वे बदले में प्राप्त आवास को ले लें क्योंकि वह आवास अधिक विस्तृत, आय में बढ़ोत्तरी करने वाला और प्रतिष्ठित है। 'अ' महाशय के हृदय में द्वन्द्व उपस्थित हुए जो इस प्रकार हैं

1. अमुक स्थान ड्यूटी के स्थान से किंचित दूर पड़ेगा।
2. अमुक स्थान पर जाकर बच्चों के स्कूल आदि की अलग व्यवस्था देखनी पड़ेगा।
3. अमुक स्थान पर बाजार, दूध की की डिपो, डिसपैन्सरी, पोस्ट आफिस बैंक की सुविधाएं एक ढंग से सुलटनी होंगी। राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ेगा।
4. अपनी जो प्रतिष्ठा यहां है वह वहां हो अथवा नहीं, वहां अपरिचित से रहेंगे।
5. वहां पहुंच कर स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दफ्तर में प्रेषित करना होगा।
6. इस स्थान का नाम फ्लैट है उसका नाम क्वार्टर है।
7. क्या हुआ वहां जल का समय एक घण्टा अधिक है।
8. क्या हुआ वहां एक दो अपने सम्बन्धी रहते हैं। पहुंचने पर तो वह आवभगत भी जाती रहेगी।
9. ठीक है वहां व्यवसाय के नए अवसर मिल सकते हैं किन्तु क्या अब गुजर नहीं हो रही।
10. वहां जाने में यद्यपि लाभ होगा किन्तु फिलहाल जाने आने और स्थान को व्यवस्थित करने के लिए भी तो एक हजार का फर्निशिंग का खर्चा है।
11. अमुक स्थान के पास एक होटल भी है जहां हर तरह का व्यक्ति आता है।
12. बच्चों का क्या है बच्चे तो नए स्थान पर जाने के लिए उत्सुक होते हैं किन्तु नए स्थान पर नए भाग्योदय की सम्भावनाएं भी बढ़ती हैं।
13. जिससे पूछो वह यही सलाह देता है कि स्थान बदलो किन्तु उन्हें क्या पता कि मुझे यहां क्या क्या आराम है।
14. वह स्थान है तो अच्छा किन्तु पश्चिम को मुखातिब होने से रहेगा हर वक्त धूप से जलता हुआ।

उक्त अन्तर्द्वन्द्वों की परीक्षा कीजिए और प्रगतिशीलता की कसौटी पर कसिए। कितनी धारणाएं तो मानसिक दुर्बलताओं के परिणाम हैं। कितनी ही पुराणपन्थी विचारों की प्रतीक हैं और उन्नति में बाधक हैं। कई विचार शंका और भय पर आधारित हैं। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाता। इस बीच में मूल्यवान समय भी नष्ट होता है। दुश्चिन्ताओं में अन्य करणीय कार्य भी रह जाते हैं। मुख्य विषय गौण होकर रह जाते हैं। निश्चय में ही 'अ' महाशय का छः दिन का समय बीत गया और वे उचित अवसर को खो बैठे। "अब पछताये क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।" "होगा वही जो राम रचि राखा" ये पुनरुक्तियां ही उनका सम्बल हैं। कभी-कभी अपनी अकर्मण्यता को कोसने के लिए ये पंक्तियां भी याद करते हैं।

ज्यों निकल कर बादलों की गोद से,
थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी,

सोचने फिर फिर वह जी में यों लगी
दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा
मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में.....
चल गई उस काल एक ऐसी हवा
वह समुन्दर ओर आई अनमनी
एक सीप का था मुंह खुला
जा पड़ी उसमें और मोती बनी।

हृदय का यह द्वन्द्व हमारे बहुत से प्रौढ़ों को दकियानूस, भाग्यवादी, लकीर का फकीर और रूढ़िवादी बनाए हुए है। सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता के प्रति मानो वे उदासीन हैं।

नीचे एक प्रश्नतालिका प्रस्तुत की जाती है। आप जिस किसी कोटि में आते हैं प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आत्मनिर्णय लेने से पूर्व द्वन्द्वों का परीक्षण कीजिए। इनसे आप अपने स्वस्थ और निर्भीक व्यक्तित्व का परिचय पा सकते हैं।

1. आप नाले के पास की ऊसर जमीन को बेचकर शहर की नई बस्ती में एक कोल डिपो का लाइसेंस ले लें अथवा दो हथकरघे चालू कर दें।
2. यदि इस वर्ष दो विवाह शादियों में न जाकर कुछ व्यय बचाकर डाकघर बचत बैंक में 200 रुपये जमा कर दें तो आप बड़े इनाम के भागी बन सकते हैं।
3. मथुरा के निकट सरकार द्वारा एक रिफाइनरी शुरू की जा रही है, एक उद्योग नगरी के निर्माण में बाजार के कुछ प्लाट हैं। सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। 10,000 रुपये जमा कराकर आप क्या स्थान सुरक्षित कराएंगे ?
4. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में यदि कर्मचारी कार्येतर समय के अलावा 2 घण्टे का तकनीकी अध्ययन शुरू करें तो पदोन्नति हो सकती है अन्तिम तिथि 30 अगस्त है।
5. अमुक प्रोजेक्ट के लिए मुहर बन्द निविदाएं अमुक राशि के साथ भेजने हैं।
6. कोआपरेटिव स्टोर चलाने के लिए क्या आप मैम्बर बन सकेंगे ?
7. कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है क्या आप उसमें सम्मिलित होंगे ?
8. भूटान की व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए आपात काल में आपको डैपुटेशन पर भेजा जा रहा है। अच्छा वेतन, अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। निर्णय लीजिए।

9. आपकी भूमि सरकार द्वारा अधिकृत कर ली गई है निर्णय कीजिए कि आप मुआवजा पैसे की शक्ल में लेना चाहेंगे अथवा रिहायशी कालोनी में प्लाट।

10. आपकी अवस्था यदि 20 और 24 वर्ष के बीच है और सरकारी नौकरी में आप असिस्टैन्ट हैं; भारतीय थल सेना में जूनियर कमीशन्ड आफीसर के पद पर आप जाना चाहेंगे ?

उक्त प्रश्नमाला में उत्तर के लिए विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। उनसे द्वन्द्व उपस्थित होगा। अनेक आन्तरिक और बाह्य कारण निर्णय लेने में बाधक बन सकते हैं। कभी शारीरिक, कभी आर्थिक समस्याओं पर विचार करना होगा। कभी सहयोग की कभी परामर्श की आवश्यकता होगी। कभी आलस्य और अकर्मण्यता से निकलकर सामर्थ्य से बढ़कर कार्य करने का उत्साह होगा। कभी भविष्य के निर्माण के लिए अतिरिक्त साधनों की खोज होगी। कभी समाचार पत्र के नियमित रूप से पढ़ने और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने की जिज्ञासा होगी। कभी सक्षम अधिकारियों से मिलने और वार्तालाप करने के अवसर मिलने की सम्भावना होगी। कभी समकक्ष व्यक्तियों के अनुभव जानने की उत्सुकता होगी। तभी आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं।

फ्लैठ टी 4
श्रीनिवासपुरी
नई दिल्ली-24

□

विकास कार्य के ताने बाने

रामचन्द्र शर्मा

सम्पूर्ण मानव जगत एक समाज है। इस विशाल ढांचे में प्रत्येक देश का अपना एक समाज होता है तथा ग्राम इसकी महत्वपूर्ण इकाई। भारत का तो मुख्यतः ग्रामीण समाज ही है। यहां की 82 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है। भारत कृषि प्रधान देश है, इस कथन का अर्थ यह है कि भारत में ग्रामों की संख्या अधिक है। ग्रामों में ही भारत को आत्मा का दर्शन होता है। नगरों में वह कुछ आवरण में होता है। सृष्टि के आदि से ही हमारे यहां ग्रामों का महत्व रहा है। हमारे ग्रामीण समाज में वे सूत्र पूर्णरूपेण विद्यमान होते हैं जो सामाजिक संगठन के लिए मुख्य आधार स्थिर किए जाते हैं।

सामाजिक संगठन का अभिप्राय यह है कि इसमें व्यक्ति को अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का पूर्ण अवसर रहे तथा साथ ही साथ सार्वजनिक हितसाधन में वह साधक हो, बाधक नहीं। जनहित पहले, निजहित पीछे। ग्रामीण समाज का ढांचा सदा से इस दिशा में अग्रसर रहा है। इससे स्पष्ट हुआ कि समाज संगठन का किला व्यक्तियों के सामूहिक क्रियाकलापों तथा परस्पर सम्बन्धों पर खड़ा होता है। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के इन्हीं क्रियाकलापों को सामुदायिक विकास कार्य कहा जाता है। इधर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने अंगड़ाई ली है, अपनी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक विकास योजनाओं की चर्चा प्रायः सर्वत्र सुनी जाती है। इन योजनाओं द्वारा अपने प्राप्त साधनों का परस्पर सहयोग द्वारा अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।

ग्रामीण जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सहज संगठन की ओर उन्मुख होती हैं। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ग्रामीणों में विशेष क्षमता है। इनका जीवन प्रकृति के अत्यन्त निकट होता है। इसी गुण के कारण इनकी वेषभूषा, रहन-सहन, आचार विचार, चाल-चलन, रीति रिवाज, खान-पान, पहनाव-उढ़ाव सभी में सरलता तथा सादगी होता है। प्रकृति मां की गोद में खुले वातावरण में ग्रामीण लोग फटेहाल भी प्रसन्न देखे जा सकते हैं। भगवान के प्रति दृढ़ आस्था और जो कुछ प्राप्त है उसमें सन्तोष इनकी अपनी विशेषता है। समाज-संगठन तथा उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता के ये सुमेरु हैं। आत्म-निर्भरता की भावना से ओतप्रोत हैं ही। ग्रामों में मुख्यतः किसान ही रहते हैं। उनकी सहायक इकाइयों के रूप में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी, नाई, राज, जुलाहे,

आदि कारीगर तथा आकस्मिक आवश्यकता के लिए अन्य श्रमिक आदि भी रहते हैं। अन्न तो ये पैदा करते ही हैं अपने लिए तथा अन्यों केलिए तिलहन, कपास, गन्ना आदि सभी तो पैदा होता है । दूध घी के लिए गाय भैंस आदि पालते हैं। ईंधन वृक्षों तथा फसलों से प्राप्त हो जाता है। मोटे कपड़े स्थानीय बुनकरों से बुनवा लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक रहन-सहन में ग्रामीणों का प्रकृति से अटूट नाता जुड़ गया है।

सह अस्तित्व की भावना भी गांवों में अधिक है, कारण है परस्पर आत्मीयता। एक ही बाबा-दादा की सन्तान तो हैं सब, सारा समूह एक वृहत् परिवार ही तो है। यदि किसी व्यक्ति के पास जीविका का साधन नहीं है तो उसे नगर वालों की भांति कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। उसे अन्न भी मिल जाता है तथा अन्य वस्तुएं भी। साग पात, ईंधन तो स्वतः किसी के भी खेत से मिल जाता है। निर्धन तथा निस्सहाय व्यक्ति के लिए गांव सर्वोत्तम स्थान है। एक दूसरे के दुख-सुख में सभी सम्मिलित रहते हैं।

इतना सब होते हुए भी इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गांवों में गन्दगी, गरीबी, आदि सर्वत्र व्याप्त हैं। भारत में लगभग 5,58,000 गांव हैं। सर्वत्र गरीबी है, पिछड़ापन है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत गरीब है। इसके विकास के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए सामुदायिक योजनाएं आरम्भ की गई। ग्रामीण समस्याओं के हल करने के लिए ही इन विकास-कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया।

सर्वप्रथम स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सामुदायिक योजना प्रशासन की नियुक्ति हुई। इसके द्वारा नीलोखेड़ी योजना तथा ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम किए गए। इस प्रकार के कार्य पहले अमरीका में बहुत हो चुके थे। अतः एक अमरीकी वैज्ञानिक एलबर्ट मेयर को यहां बुलाया गया। उसने इटावा मण्डल में काफी प्रगति की। 1952 में गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 55 विकास खण्डों का उद्घाटन किया गया । इसमें सफलता मिली तथा यह संख्या और बढ़ाई गई। चार वर्ष पश्चात् 700 विकास खण्डों में कार्य होने लगा। इनसे बड़ा लाभ हुआ, किसानों की दशा सुधरती गई तथा विकास कार्यभी बढ़ाए जाते रहे। अब तो देश में प्रायः सर्वत्र ही इनका जाल बिछा दिया गया है।

इन सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर इस प्रकार हैं—**अन्न की उपज बढ़ाने का कार्य**। इसके लिए उत्तम प्रकार के बीज तैयार किए जाते हैं जिससे उपज कई गुनी बढ़ जाए। फिर इन बीजों को किसानों तक पहुंचाया जाता है। इनके बोने, सींचने तथा खाद आदि देने की जानकारी भी किसानों को दी जाती है। नए-नए उर्वरक किसानों को दिए जाते हैं। सिंचाई के साधन सुलभ किए जाते हैं । सरकारी तथा निजी नलकूप प्रायः सर्वत्र लगाए गए हैं। बिजली किसानों को उदारतापूर्वक दी जा रही है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए नाममात्र ब्याज पर ऋण दिया जाता है। सहकारी बैंक इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा तथा पशुपालन—किसानों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए ग्राम ग्राम में पाठशालाएं खोली जा चुकी हैं तथा खुल रही हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उत्तम प्रकार के सांड पाले गए हैं और पशुओं की नस्लें सुधारी जा रही हैं।

पंचायतें तथा अन्य कार्य ग्राम सभाओं तथा पंचायतों द्वारा आपसी झगड़े वहीं निपटा दिए जाते हैं। ग्राम सभाओं द्वारा गन्दगी दूर करने के कार्य भी किए जा रहे हैं। नालियां तथा सड़कें बनाई जाती है।

प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामसेवक तथा ग्रामसेविकाएं नियुक्त की गई हैं जो ग्रामीणों को प्रत्येक कार्य में सहायता तथा सलाह देने को तैयार रहते और रहती हैं। कृषिकार्य ऐसा है कि इसमें किसान बहुत व्यस्त रहता है। ऐसी दशा में मनोरंजन के साधनों की बहुत आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से इसके लिए भी सहायता दी जाती है। ग्रामसभाओं को रेडियो सैट भी दिए जाते हैं। जो सभाएं गांवों में किसी विशेष अवसर पर अथवा विशेष उद्देश्य से ग्रामीण खेल कूद, मनोरंजन कार्य, रसिया तथा लोकगीत, रंगमंच तथा अन्य सम्मेलन-मेला आदि का आयोजन करती हैं उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने के विचार से अनुदान दिया जाता जाता है। पशुमेलों में भी उत्तम नस्ल के पशुओं तथा स्वस्थ पशुओं को पुरस्कार दिए जाते हैं।

यह सब होते हुए भी भारत जैसे विशाल विकासशील देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विपुल धनराशि की आवश्यकता तो है ही साथ ही साथ अनेक बाधाएं भी मुंह बाए खड़ी रहती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई है यातायात एवं संचार साधनों का अभाव। इसके बिना ग्रामों की जनता उपलब्ध सामुदायिक सेवा-सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पाती तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों से कटी रहती है। चिकित्सा सुविधाएं भी ग्रामों में नहीं के बराबर हैं। उन्हें या तो कराहते तपते अपनी खटिया में पड़ा रहना पड़ता है या फिर किसी प्रकार शहर जाकर चिकित्सा करानी पड़ती है। इसके लिए अधिक धन, समय तथा किसी सहायक व्यक्ति की अपेक्षा होती है। अतः ग्रामों में नई सड़कें बनाई जानी चाहिए जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तथा नगरों को आना जाना सुगम हो। चिकित्सा केन्द्र भी गांवों में खोले जाने चाहिए जिनमें प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा सेवा ग्रामीणों को प्राप्त हो। रोगों की चिकित्सा के साथ साथ रोगों की रोकथाम, सफाई तथा रोगों से बचने के उपायों का भी ग्रामीणों को ज्ञान कराया जाए। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की शिक्षा की सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए। आशा है कि नई पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में विशेष काम होगा। ग्रामीणों को नई दिशा देकर उन्नत किया जाएगा।

1279 तिमारपुर दिल्ली-7

सघन कृषि जिला कार्यक्रम : उद्देश्य और उपलब्धियां

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (1968-69 से 1970-71) के बारे में आकलन एवं मूल्यांकन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की पांचवीं रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में प्रति हैक्टेयर 22.7 क्विण्टल गेहूं और 14.3 क्विण्टल चावल की पैदावार हुई है, जबकि पूरे देश में गेहूं और चावल की औसत पैदावर क्रमशः 13 और 11.3 क्विण्टल प्रति हैक्टेयर है।

इन आंकड़ों को देखने के बाद इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में किसी को सन्देह नहीं रह जाता। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सरकार ने चाहे जो भी सहायता की हो, इतना तो अवश्य है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के किसानों में जागरूकता भी आई है। तभी तो उन्होंने अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को अपनाया। स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इसी समिति ने बताया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में लगभग 23 प्रतिशत फसल-क्षेत्र में ऐसी किस्मों की खेती की गई है, जबकि देश के कुल फसल-क्षेत्र के 9 प्रतिशत भाग में ही अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती हुई। इसी प्रकार, इन जिलों में 77 प्रतिशत फसल-क्षेत्र में गेहूं की फसल की गई, जबकि भारत में कुल बुआई वाले क्षेत्र के 36 प्रतिशत में गेहूं बोया गया था।

समिति का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि इन 18 जिलों में कृषि में आधुनिकीकरण की गति सम्बद्ध राज्यों और समूचे देश की तुलना में तेज रही तथा लगभग इन सभी जिलों में सघन खेती और सिंचाई की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ।

इतना होने के बावजूद समिति ने कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि खाद, बीज आदि के समन्वित विकास और वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च-स्तरीय समिति स्थापित की जाए, जिसमें खाद, बीज आदि से सम्बद्ध विशिष्ट एजेन्सियों का प्रतिनिधित्व हो। राज्य-स्तर पर एक अतिरिक्त निदेशक (कृषि) को यह काम सौंपा जाए।

समिति ने सिंचाई के विकास, नाली व्यवस्था में सुधार, ऊसर भूमि में सुधार तथा बिक्री व्यवस्था व भण्डारण जैसी सुविधाओं के क्षेत्र में भविष्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। समिति ने बागवानी और पशुपालन को भी कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की है। तिलहन,

कुसुम बाजपेयी

कपास और गन्ना जैसी फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को अधिक महत्व देने का सुझाव दिया गया।

यहां यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के उद्देश्य क्या थे और वे कहां तक पूरे हुए। उल्लेखनीय है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार कृषि अनुसन्धान के परिणामों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से करने का प्रबन्ध किया गया था। सीमित पैमाने पर कार्यक्रम को शुरू करने के बावजूद इसके उद्देश्य बेहद स्पष्ट थे—(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने का उदाहरण प्रस्तुत करना और (2) खेती के नए तौर-तरीकों की खोज के उपयुक्त अवसर जुटाना।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे तीसरी योजना में भी शामिल किया गया और कहा गया कि उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। किसानों की स्थिति को देखते हुए इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और ऐसा करते समय किसानों की ऋण लौटाने की क्षमता पर विचार किया जाएगा। साथ ही ऋण और बिक्री व्यवस्था में भी तालमेल रखा जाएगा।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थीं। इस बात पर जोर दिया गया कि चुने जाने वाले जिले में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और सहकारी संस्थाओं और पंचायतों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कुल मिलाकर इस बात पर ध्यान रखा गया कि कम से कम समय में खेती की उपज में अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी करना सम्भव हो। इन बातों को ध्यान में रखकर सात जिले—पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश), शाहबाद (बिहार), रायपुर (मध्य प्रदेश), तंजौर (तमिलनाडु), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और पाली (राजस्थान) चुने गए। इसके बाद जैसे-जैसे कार्यक्रम का विस्तार हुआ और बारह जिलों तथा दिल्ली को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया।

कार्यक्रम को कई मायनों में आशातीत सफलता मिली और साथ ही कुछ प्रारम्भिक सफलता भी। कार्यक्रम को चलाने के दौरान यह अनुभव किया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिले कई आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसलिए किसानों के सामने नई कठिनाइयां और समस्याएं आईं। ऐसे कुछ जिले उत्पादन वृद्धि का उदाहरण तो पेश नहीं कर सके लेकिन ये जिले भी इस मामले में अवश्य सफल रहे कि वहां भी खेती के नए तौर-तरीके अपनाए गए।

सीमावर्ती जिले किन्नौर की पंचायतें

उत्तरपूर्वी सीमान्त व देश के अन्य भागों में पंचायतों को निकट से देखने व कार्य करने का अवसर मिला है, परन्तु किन्नौर की किसी ग्राम पंचायत को इतने निकट से देखने का अवसर पहली बार हमें प्राप्त हुआ। किन्नौर जिले की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसके सन्दर्भ में यहां की कार्यप्रणाली अपने प्रकार की अपनी ही है। देश में यह अपने नमूने का एक जिला है जिसमें कोई नगरपालिका टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया नहीं है, केवल पंचायतें ही हैं।

1952 में पहली बार हिमालय प्रदेश में पंचायत कानून बना जो 1954 में लागू हुआ। गांव की व्यवस्था को चलाने के लिए किन्नौर में इससे पहले कोई निश्चित व्यवस्था न थी। तहसील व अन्य सरकारी कार्यालय बहुत दूर थे, और यों भी 1960 से पहले यह जिला चिनी तहसील के नाम से महासू जिले का भाग था। स्वतन्त्रता से पूर्व भी रामपुर बुशहर नाम की रियासत के अन्तर्गत इसी प्रकार की व्यवस्था थी।

शुरू शुरू में इस जिले में केवल 9 ग्राम पंचायतें स्थापित हुईं, जो 1958

ब्रह्मदत्त स्नातक

में बढ़कर 12 व 1962 में 27 हो गईं। तब से इनकी संख्या इतनी ही चली आ रही है। 1954,1958 और अन्त में 1962 में वहां पर इनके चुनाव हुए जिनकी कुल सदस्य संख्या 310 रही है। इसके बाद इस जिले में कोई चुनाव नहीं हुए। जैसा कि पांगी में हमें पता चला वहां की न्याय पंचायत के 15 सदस्यों में 7 ने इस पुरानी पंचायत से त्याग पत्र दे दिया है, इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी लगता है कि ग्राम सभा एवं पंचायतों से बड़ी संख्या में सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है, अथवा वे निष्क्रिय पड़ी है। जिला पंचायत अधिकारी श्री एम० एल० चौहान ने बताया कि इनको पुनः प्राणवान् बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिले की पंचायतों में हरिजनों को भी सुरक्षित स्थान दिए गए हैं। ग्राम सभा के निर्वाचन के बाद वही न्याय पंचायत के 15 सदस्यों को बालिग मताधिकार के आधार पर चुनती है। यहां कोई जिला परिषद् नहीं होती। पंचायत का अपना पूर्णकालिक सैक्रेटरी होता है।

पहले की व्यवस्था

पंचायतों के निर्माण से पहले अपने विवादों को तय करने के लिए किन्नौर के निवासियों ने अपनी एक विशेष व्यवस्था निकाल रखी थी जिसके अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति गांव के तीन बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाकर अपना मामला रखता था। उन्हें 'सयाना' कहते थे। वे दोनों पक्षों को बुलाकर मामला सुनते थे और अपना फैसला दे देते थे। तीन में से दो सयाने जो कह दें वही निर्णय मान लिया जाता था। इस फैसले के खिलाफ शायद ही कभी अपील की जाती थी और सर्वसाधारण को उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा होता था। विवादग्रस्त दोनों पक्ष ही इन सयानों को उनकी बहुमूल्य कल्याणकारी सेवाओं के बदले कुछ भेंट दिया करते थे। सयाना अपना निर्णय देते समय पीड़ित पक्ष के सामर्थ्य और मानवीय भावों का पूरा ध्यान रखते थे।

यों पंचायतों की इतनी कम संख्या को देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। 6,520 वर्ग किलोमीटर के इस जिले के क्षेत्र में निवासियों की कुल संख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 50 हजार व्यक्तियों से कम ही है। आबादी अत्यन्त विरल है, और भूस्खलन जैसी दैवी

विपदाओं के कारण गांवों की स्थिति बदलती रहती है। एक अन्य भिन्नता यह भी है कि तिब्बत के पश्चिमी भाग से इस प्रदेश के सटा होने के कारण यहां के निवासियों की जीवन पद्धति, परम्पराओं और लोकजीवन पर उसका गहरा असर रहा है।

अब शिक्षा के प्रसार, सड़कों के विस्तार, विकास कार्यों की प्रगति एवं सैनिक गतिविधियों के विस्तार के कारण देश के अन्य सीमान्त प्रदेशों की भांति किन्नौरवासियों का जनजीवन भी भारत की राष्ट्रीयधारा के निकट बड़ी तेजी से आता जा रहा है। स्पष्ट है कि पंचायतों के कार्यों में और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन परिलक्षित होता जा रहा है। रेडियो-ट्रांजिस्टरों के द्वारा देश के अन्य भागों एवं विशेषतः हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रगतिशील पंचायतों के विवरणों से उनको प्रेरणा प्राप्त होती है। न्याय पंचायतों की कार्यप्रणाली पर यहां की स्थानीय परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है, और उसे कानून द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए, बहुपति प्रथा यहां कानून द्वारा मान्य है। सम्पत्ति पर केवल पुरुष का अधिकार यहां की परम्परा का अविच्छिन्न अंग है और हिन्दू उत्तराधिकार कानून (इस जिले में अ-हिन्दू वर्ग की संख्या नगण्य है) इस अनुसूचित प्रदेश पर लागू नहीं होता। यों समय के अनुसार बदलती परिस्थितियों को यहां के निवासी बड़ी तेजी से ग्रहण करते जा रहे हैं। इस प्रकार जहां लड़की के अपहरण या विवाहित महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ चले जाने पर परम्पराओं के अनुसार पंचायतें न्याय करती हैं, वहां किसी व्यक्ति द्वारा सम्मिलित पत्नी के अलावा अपनी एक अलग पत्नी रखने का भी अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है।

पांगी ग्राम सभा

किन्नौर जिले के मुख्यालय काल्पा से सड़क द्वारा 11 कि० मी० की दूरी पर (पैदल रास्ता 4 कि० मी० है) पांगी ग्राम सभा व न्याय पंचायत के कार्यों को हमें निकट से देखने का अवसर हुआ। पंचायत कानून के अनुसार 8 से लगाकर 15 सदस्य ग्राम सभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिनका एक प्रधान एवं एक उप-प्रधान होता है। पांगी ग्राम सभा के प्रधान श्री रामसिंह नेगी हमें बड़े उत्साही लगे। जमींदारी के अलावा स्थानीय जनता एवं पांगी-स्थित सार्वजनिक निर्माण में ठहरने वाले अधिकारियों एवं पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे एक मामूली-सी दूकान भी चलाते हैं। इस प्रकार वे असामान्य चातुर्य से ग्रामसभा का काम करते हैं। उनसे भी अधिक पठित वहां की न्याय पंचायत के सरपंच श्री अमीरचन्द हैं, जो वन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। अधिकांश व्यक्ति सुगमतापूर्वक हिन्दी में अपने विचारों को प्रकट कर लेते हैं।

इस ग्राम की आबादी 1633 है, जो 250 घरों में रहते हैं। 647 सवर्ण पुरुष एवं 632 सवर्ण महिलाएं एवं 168 हरिजन पुरुष एवं 185 हरिजन स्त्रियां हैं। सवर्णों की केवल एक ही जाति राजपूत यहां निवास करती है, परन्तु उनमें भी कुलीनता के आधार पर ही विवाह एवं खानपान चलता है। हरिजनों की प्रमुख जातियां चमराड़ व डोमराडू कहलाते हैं। अधिकांश हरिजन खेतों-बगीचों के अलावा निजी व गैर सरकारी तौर पर नौकरी एवं मजदूरी भी करते हैं। मकान बनाना, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, चमड़े का काम करने के अलावा उनमें से कुछेक के पास खेती के लिए थोड़ी-थोड़ी जमीन व बाग भी हैं। पांगी ग्राम में कुल मिलाकर 5 ग्रेजुएट हैं और अब वे लोग सेना व अर्ध सैनिक संगठनों के अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी काम करते हैं। ग्राम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस इलाके में श्री मनसुआ नामक एक ग्रामसेवक भी नियुक्त है। हमारे जाने पर न्याय पंचायत की बैठक में सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में कामकर रहे थे।

गांव का विकास

पांगी पुरानी हिन्दुस्तान—तिब्बत सड़क पर स्थित एक प्रमुख गांव है। वर्तमान नए राजपथ संख्या 22 से उसकी 2 किलोमीटर की दूरी है। मेहबार के पावर हाउस से उसके निवासियों को बिजली मिलती है। मिडिल स्तर का एक स्कूल भी सरकार की ओर से चलता है जहां सब को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। माध्यम हिन्दी है, यद्यपि स्कूल में सारे आदर्श वाक्य और सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी दिखाई पड़ीं। प्राईमरी के बच्चे क्या समझें!

ग्रामवासियों को एक शिकायत है कि सरकार ने लगभग 10 लोहे की टंकियां लगा दी हैं, परन्तु उनमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। यों उस क्षेत्र में ऐसा होना अस्वाभाविक इसलिए नहीं है कि पानी के नियत स्रोत पहाड़ों में सूखते व बदलते रहते हैं। इसी प्रकार विकास विभाग द्वारा 75 हजार रुपये से निर्मित डेढ़ किलोमीटर लम्बी गूल भी इसीलिए बेकार पड़ी है। पता चला है कि अब सार्वजनिक निर्माण विभाग पौने दो लाख रुपये की लागत से सिंचाई व पीने के पानी की व्यवस्था करने जा रहा है। यों सिंचाई व पीने के लिए ग्रामीणों के पास वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे उनके सेब, आड़ू व खुमानी के बगीचे तथा खेती ठीक चलती है। जेवजे (चिलगोजे) के वृक्षों से भी पर्याप्त आय हो जाती है।

गांव सभा पांगी के पास अपना खर्च चलाने के लिए सरकारी लगान के ऊपर लगे अतिरिक्त शुल्क के अलावा एक अपना बड़ा अच्छा बाग है, जो गत वर्ष 4,000 रुपये में उठा था। सरपंच श्री अमीचन्द को विश्वास है कि इस बार 6-7 हजार में जाएगा। पंचायत कार्यालय 20 रुपये मासिक किराये के मकान में है। जब हम वहां पहुंचे न्याय पंचायत की बैठक हो रही थी और उसमें उस दिन रुपये के लेन-देन के अलावा एक अविवाहित लड़की के साथ शीलभंग के प्रयत्न तथा किसी के बैल द्वारा दूसरे की गाय को मार दिए जाने पर हर्जाने की मांग के प्रश्न उपस्थित थे। कानून के अनुसार ये पंचायतें 200 रुपये जुर्माना वा हर्जाना कर या दिला सकती हैं। □

ग्रामीण समितियां आत्मनिर्भर कैसे बनें ?

राधाकृष्ण सक्सेना

हमारे गांवों में अधिकांश सहकारी समितियों का जीवन काल 20-30 वर्षों से ऊपर का हो चुका है। इतनी अवधि के बाद आज भी सहकारी समितियां अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकीं। यदि वर्तमान दृष्टिकोण यही रहा तो आने वाले वर्षों में यह अपेक्षा करना कि समितियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी- "आत्मनिर्भर" बनेंगी, एक छलावा मात्र है।

हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि ग्रामीण समितियों को क्या इसी स्थिति में रखना है या इनमें सुधार करना है और मैं समझता हूं कि एक स्वर से सभी यही कहेंगे कि समितियां मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों। पर कैसे ?

सहकारी समितियों का गठन आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उन्नति के लिए किया गया था—आज भी वही उद्देश्य है। हमारे गांवों में बैंकों के द्वारा समितियों को आर्थिक सहयोग दिया गया। पूरे मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 1972 में करीब 9,884 थी। इन्हें केन्द्रीय सहकारी अधिकोषों द्वारा करीब 66 करोड़ रुपयों की राशि ऋण के बतौर दी गई। भूमि विकास बैंकों द्वारा दी गई राशि इससे अलग है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं स्टेट बैंक के द्वारा दी गई राशि भी इसमें सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार यह तो निर्विवाद सत्य है कि यदि इतना रुपया कृषकों को अन्य किन्हीं सूत्रों (साहूकारों आदि) से लेना पड़ता तो हमारे कृषकों को करीब 16 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में देना पड़ता और कृषकों की हालत जो आज है वह न होती। वे अति सोचनीय स्थिति में होते।

सहकारी आन्दोलन की उपलब्धियां कम नहीं हैं, और ना ही उन्हें कम करके आंकना चाहिए। गांवों की आर्थिक उन्नति का प्रश्न जो शुरू में उठाया था, कुछ दूर होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में सहकारी बैंकों ने समितियों को सस्ता ऋण देकर निश्चित रूप से करीब 10 करोड़ रुपयों की बचत गांवों को कराई परन्तु फिर सोचना पड़ता है कि सहकारी बैंकों का क्या सिर्फ एकमात्र काम साहूकारी करना ही है या इनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। अगर एकमात्र कार्य साहूकारी ही है तो इनमें एवं अन्य बैंकों में कोई अन्तर नहीं। पैसों को सस्ती दर पर दिलाने के बाद उन पैसों का सही उपयोग हो, उससे कृषकों की आमदनी बढ़े और बढ़ी हुई आमदनी में से कृषक पूर्व में लिया गया पैसा अदा करें न कि कहीं अन्यत्र से उधार लेकर। अगर इतनी व्यवस्था सहकारी बैंक नहीं करते तो इसका मतलब है कि बैंक अपने कर्तव्यों को शायद पूरी तरह नहीं समझ सके। उक्त व्यवस्था से जहां एक ओर पैसों का सदुपयोग होगा गांवों में समृद्धि आएगी वहीं दूसरी ओर बैंकों की वसूली की गारण्टी भी बढ़ती है।

दूसरी ओर देखिए, आज हमारा शासन तंत्र (विभाग एवं केन्द्रीय संस्थाएं) गांवों के कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने में असफल रहा है। कितनी समितियों में कर्मचारियों ने उदाहरण पेश किए कि फसल को राजकीय गोदामों में रखा हो और उत्पादन को अच्छे भाव पर बेच कर लाभ सीधा कृषकों को दिलाया हो ? विपणन समितियों ने कहां इस प्रकार की सुविधाएं दिलाई हैं ? अधिकांश विपणन संस्थाएं या तो सक्षम हैं ही नहीं और हैं तो कृषकों को लाभ कराने के बजाए स्वयं समिति का ही लाभ कराने के चक्कर में सीधी खरीद करती हैं। कृषकों के लाभ को नजरन्दाज कर दिया जाता है।

तीसरा, हर व्यक्ति को जो रोजमर्रा का सामान खरीद करना पड़ता है और स्पष्ट है कि गांवों में वह शहर की अपेक्षा कुछ ज्यादा दर पर ही बेचा जाता है। बहुत सी योजनाएं बनीं कि उपभोक्ता भण्डार गांवों में हों, समिति का अपना एक भण्डार हो। पर, कुछेक समितियों को छोड़कर अन्य सेवा सहकारी समितियों में कहीं भी तो भण्डार नहीं हैं। जहां हैं, वे भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। कृषक हमारा यहां भी मारा गया।

यदि हम तीनों बातों को लें तो पता चलेगा कि एक गांव जहां करीब 500 घर हैं और आबादी करीब 3,500 की है सहकारी समिति हर वर्ष बैंक से करीब एक लाख रुपया कर्ज लेकर सदस्यों को बांटती है। यह क्रम वर्षों से चला आ रहा है। क्या समिति अभी अपनी निजी पूंजी इतनी नहीं बना सकती कि वह अपनी राशि ही सदस्यों को नाममात्र का ब्याज 2% से 4% या इससे भी कम लेकर सदस्यों को कर्ज पर दे ? यह तभी सम्भव है जब हम समिति के माध्यम से गांव से होने वाली लूट को रोकें। यदि समिति 3,500 की आबादी वाले गांव की बनी है तो उसकी लूट निम्न परिमाण में होती है :—

1. एक लाख रु० बैंक के कर्ज पर सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज।	10,000
2. 5 हजार बोरों पर जो उस क्षेत्र द्वारा उत्पादन बेचा जाता है सिर्फ 2 रु० प्रति बोरा के मान से कम कीमत प्राप्त होना।	10,000
3. 500 घरों द्वारा केवल 25 रु० प्रति घर के मान से वर्ष में खरीद पर ज्यादा पैसा चुकता करना।	12,500
योग :—	32,500

नोट :—अर्थात् कुल कर्ज में ली गई

राशि का 1/3 अन्य नुकसान जैसे दलाली, गोदामों की कमी के कारण होने वाला नुकसान । साहूकारों को दिया जाने वाला ब्याज आदि इससे अलग हो। यदि यह प्रवाह 5 वर्षों के लिए रुक जाए तो गाँवों का नक्शा ही बदल जाएगा।

ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस प्रकार हमारे देश के 5 लाख गांव वर्षों से यह अनदेखा नुकसान उठाते आए हैं, उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। एक बड़े तालाब में यदि पानी की छोटी धार झर-झर कर बाहर जाती है तो तालाब खाली हो जाता है, फिर हमारे गांव जीवित कैसे हैं ? आश्चर्य होता है—इनको तो कभी का मिट जाना चाहिए था। हर वर्ष गांवों की लूट के आधार पर शहर बढ़ते हैं, इमारतें खड़ी की जाती हैं पर कौन देखता है कि गांवों का एक-एक कच्चा घर हर वर्ष गिरता जाता है।

हमें स्पष्ट रूप से कहना है कि समय कभी रुकता नहीं। जब साहूकारों का जमाना नहीं रहा तो मौजूदा स्थिति भी नहीं रहेगी। गांवों की आमदनी का बहाव रुकेगा, गांवों के शिक्षित गांवों में रहेंगे, गांव खुशहाल होंगे।

आर्थिक सुधार के बाद प्रश्न सामाजिक सुधार का आता है—सामाजिक सुधार में हमारे रहन सहन, खाने पीने, कार्य करने आदि के तरीके शामिल हैं। गांव के लड़के अच्छी शिक्षा पाएं, स्कूलों का प्रबन्ध उचित हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत सुदृढ़ हों, बेरोजगारी ना हो, हर व्यक्ति को उचित मजदूरी मिले, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा एवं मकान की व्यवस्था हो। इस उद्देश्य की पूर्ति करना सहकारी समिति, ग्राम एंव न्याय पंचायतों की मिलीजुली जिम्मेदारी होती है परन्तु भूखा इन्सान साधनहीन व्यक्ति इस उद्देश्य को नहीं पा सकता।

लूट हर वर्ष हो जाती है तो फिर निर्माण किस आधार पर हो, कहां से हर वर्ष नवयुवकों के लिए कार्य पैदा किए जाएं, कहां व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाए ? आर्थिक उन्नति के बिना . सामाजिक उन्नति यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

तीसरा उद्देश्य नैतिक सुधार का उठता है। कहा भी है कि बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्—भूखा आदमी क्या नहीं करता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ा ह्रास हुआ है या जिसकी वृद्धि हुई है वह है नैतिक स्तर में गिरावट। गांव भी इससे अछूते नहीं रहे। बात-बात में स्वार्थ को देखना, झूठ बोलना, शोषण करने आदि की प्रवृत्तियों का बाहुल्य, अनावश्यक स्टाक को जमा करके रखना आदि आदि हैं। दोष समय का है। जिस समाज में शोषण होगा वहां नैतिकता का अभाव होगा ही। शोषण करने वाला एंव शोषण सब झगड़ों की जड़ है। यहीं से व्यक्ति झूठ बोलने से लेकर अन्य सभी कुकर्म करता है। वह न समाज को देखता है न राष्ट्र को। उसका ध्येय पैसा कमाना मात्र रह जाता है। फिर चाहे वह व्यापारी हो, गांव या शहर का रहने वाला हो या कोई संस्था हो। आज घरों में बनने वाला हर सामान बाजार की भावना रखता है। रोटी भी इससे मुक्त नहीं। सहकारी समिति को बनाकर हमें पैसों, रुपयों को इन्सान के मुकाबले गौण स्थान देना था परन्तु हो उल्टा रहा है। पहिले पैसा, बाद में आदमी। सहकारी समिति आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक उन्नति को साथ ही साथ करना चाहती है। हम सिर्फ नैतिक बनकर भूखे नहीं रह सकते ना ही हमारी आर्थिक उन्नति अकेले हमें एवं हमारे समाज को शान्ति दे सकती है। आर्थिक उन्नति के साथ नैतिक एवं सामाजिक उन्नति का समन्वय होना जरूरी है।

हमारे देश में सहकारी साख का ढ़ांचा त्रिस्तरीय है। समितियों के आत्मनिर्भर बनने का पाठक यह अर्थ कदापि न लगाएं कि चली आ रही परम्परा में कोई गतिरोध उत्पन्न होगा। आज भले हमारे गांव सहकारिता के अन्तर्गत आ गए हों परन्तु समस्त ग्रामीणवासी इसका लाभ नहीं उठा पा रहें है, ना ही सहकारी बैंक और ना ही अन्य बैंक (राष्ट्रीय कृत एंव स्टेट बैंक आदि) ग्रामीण साख को 10% तक पूरा कर सकते हैं फिर क्यों ना हम दूसरा सही रास्ता अपनाएं। यह भी निश्चित है कि विकास रुकता नहीं। अगर समितियां आत्मनिर्भर बनकर अपनी छोटी आवश्यकताओं (बीज, खाद, मजदूरी) की पूर्ति गांव में कर सकें तो हमारे केन्द्रीय बैंक एवं अन्य बैंक स्थायी आवश्यकताओं (मशीनीकरण, कुटीर उद्योग) की पूर्ति आसानी से कर सकेंगे तब सही अर्थों में हरित क्रान्ति जन्म लेगी। कभी फसलें खराब होने का अन्देशा नहीं रहेगा, एक स्थायित्व पैदा होगा देश के आर्थिक विकास में।

हमारी समितियों के वास्तविक रूप को निखारना ही देश के और गांवों के हित में है। गांवों में एक साथ इन तीनों उद्देश्यों को लेकर ही सहकारी आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्त आत्मनिर्भर एवं शोषणमुक्त समाज की स्थापना सम्भव होगी। आज की स्थिति में गांवों का शोषण शहरों एवं महाशहरों द्वारा होता है। (देश के लिए) देश के उद्योगों के लिए अनाज एवं कच्चा माल उपलब्ध करने वाले गांव स्वयं साधनहीन रहें और अपने उत्पादन का लाभ स्वयं न भोग पाएं यह कैसी विडम्बना है ! सहकारी समिति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें उत्पादन के सहकारी विपणन द्वारा किसानों को सही मूल्य दिलाना होगा। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए समिति का ही भण्डार चालू करना होगा और समिति की अपनी स्वयं की पूंजी शनैः शनैः बनानी होगी। इस प्रकार हर समिति में कम से कम तीन कर्मचारी होंगे। उक्त कार्य यदि ईमानदारी से एवं एकजुट होकर किया जाए तो आने वाले कुछ ही वर्षों में समितियां पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।

आचार्य
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
बिलासपुर

□

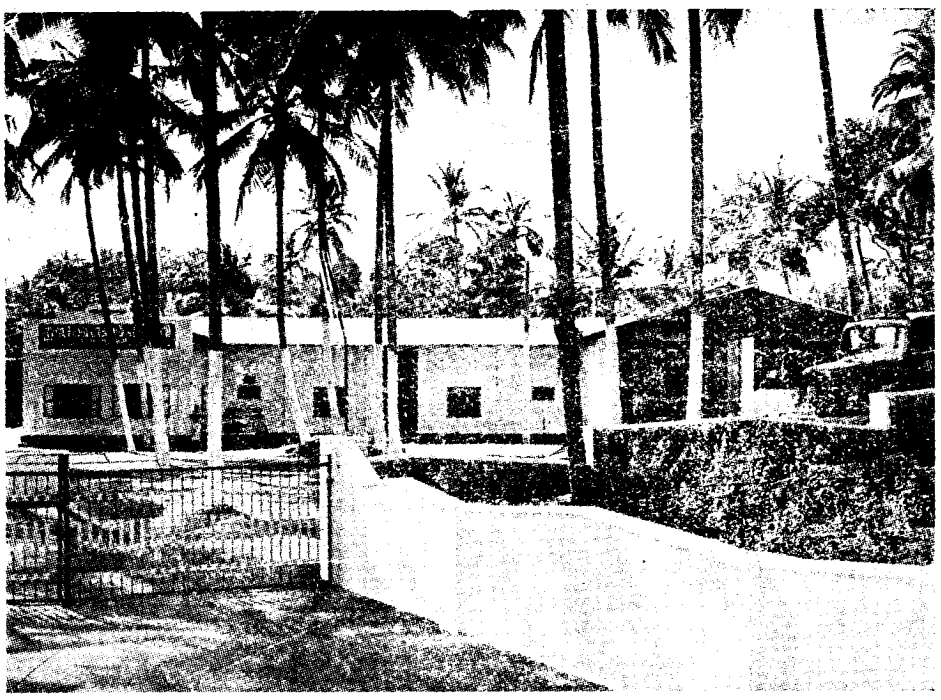

वनोपज पर आधारित ग्रामोद्योग

भारत के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में वनों का प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वन न केवल मानसून को आकर्षित करते एवं भूमि के कटाव को रोकते हैं, अपितु विभिन्न ग्रामोद्योगों के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत हिस्से में वन आच्छादित हैं। देश में 3 करोड़ 80 लाख आदिवासी हैं, जो कुल जन-संख्या के 7 प्रतिशत होते हैं, इनमें से अधिकांश जंगलों एवं जंगल के पास के ग्रामों में रहते हैं तथा अपने परम्परागत औजारों का उपयोग कर वनोपज से आ-जीविका चलाते हैं। अशिक्षा एवं गरीबी के कारण इन लोगों का सतत् शोषण हो रहा था, अतः खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस उद्योग को अपने कार्यक्रम में संश्लिष्ट कर उत्पादन एवं मजदूरी में सुधार के बहुआयामी प्रयास किए हैं।

1970-71 में 30.36 लाख रु० ऋण एवं 2.71 लाख रु० अनुदान के रूप में, इन उद्योगों को प्रदान किया गया। इन उद्योगों ने 27.21 लाख रु० का माल बेचा, 14.34 लाख रु० की भृति प्रदान की एवं 99,216 लोगों को रोजगार प्रदान किया। 1971-72 में 11.30 लाख रु० ऋण एवं 2.34 लाख रु० अनुदान के

नारायण प्रसाद शर्मा

रूप में इन उद्योगों को प्रदान किया गया। इस अवधि में इन उद्योगों ने 53 लाख रु० का माल बेचा, 14.22 लाख रु० की भृति प्रदान की एवं 87,549 लोगों को रोजगार प्रदान किया।

वनोपज पर आधारित प्रमुख ग्रामोद्योग अग्राङ्कित है :

(1) बांस एवं बेंत उद्योग —बांस एवं बेंत से दैनिक उपयोग की अनेक चीजें निर्मित की जाती हैं, जिसमें से कांगडी टोकनी विश्व प्रसिद्ध है। जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, केरल एवं पश्चिम बंगाल में यह उद्योग काफी विकसित हुआ है। 1968-69 में इस उद्योग का उत्पादन केवल 78 हजार रु० का था जो 1971-72 में बढ़कर 21 लाख रु० का हो गया। इस उद्योग की 92 सहकारी समितियां एवं 16 पंजीकृत संस्थाएं कार्यरत थीं जिनमे 2,412 व्यक्तियों को पूर्णकालीन एवं अंशकालीन रोजगार प्राप्त था। उत्पादन एवं विक्रय के दृष्टि-कोण से जम्मू-कश्मीर अग्रणी है।

(2) **कत्था उद्योग**—कत्था खैर के पौधे से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग शिशुओं की अतिसार बीमारी एवं पान में होता है। उसके सहायक उत्पादन का चमड़ा पकाने में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कामों में भी इसका उपयोग होता है।

यद्यपि कत्था उत्पादन का कार्य कुछ प्रसिद्ध निजी उद्योगों के हाथ में है फिर भी अधिकांश उत्पादन कार्य आदिवासी परिवारों के द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। इन परिवारों के द्वारा प्रतिवर्ष 3 हजार टन कत्था निर्मित किया जाता है। इनके द्वारा निर्मित कत्थे के अवैज्ञानिक तरीकों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 10 हजार टन चमड़ा पकाने वाले पदार्थ कुट्ज का नाश हो जाता है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस अपव्यय को रोकने के लिए आधुनिक यन्त्रों एवं वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया है। अब कत्था भी अच्छी किस्म का प्राप्त होता है। 1971-72 में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस उद्योग को 1 लाख रु० का ऋण दिया गया। इस वर्ष 13 लाख रु० से अधिक का कत्था निर्मित किया गया व 1,625 व्यक्तियों को पूर्णकालिक एवं अंशकालिक रोज-गार प्रदान किया गया। हल्द्वानी, उत्तर प्रदेश में एक उत्पादन-सह-अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई ताकि उत्पादन के गुणों में सुधार हो।

(3) **गोंद एवं राल उद्योग** :—गोंद

एवं राल का प्रयोग वस्त्रोद्योग, रंग एवं चिपकाने वाले पदार्थों में होता है। गोंद दवाइयों में भी प्रयुक्त किया जाता है। इनके बहुआयामी प्रयोगों के कारण यूरोप एवं अमेरिका में इनकी काफी मांग है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को दृष्टिगत रखते हुए खादी ग्रामोद्योग ने गोंद निकालने एवं शोधन करने का कार्य प्रारम्भ किया, जिसमें अनुमानित 150 टन गोंद प्राप्त हो सकता है।

राल की अधिकांश प्राप्ति हिमालय के वनों से होती है। एक वृक्ष से 2 किलो तक राल प्राप्त हो सकता है। आसवन द्वारा तारपीन, राल एवं पाईन तेल अलग-अलग किए जाते हैं। राल का सहायक उत्पादन डामर है जो काष्ठ संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तारपीन एवं राल के उद्योगों में अनेक उपयोग होने के कारण देश के अन्यान्य प्रान्तों में जहां अन्य आर्थिक क्रियाकलाप प्रारम्भ नहीं किए जा सकते वहां अनेक लोगों को सहज ही में रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

1971-72 में इन उद्योगों में करीब 3 हजार लोगों को रोजगार प्रदान किया गया एवं 13 लाख रु० से अधिक का उत्पादन किया गया। खादी ग्रामोद्योग द्वारा राल उद्योग को 3.91 लाख रु० का ऋण एवं 1.23 लाख रु० का अनुदान प्रदान किया गया।

(4) **लाख उद्योग** :—यह भारत का एक अति प्राचीन ग्रामोद्योग है। यह पलाश, बेर एवं कुसुम के वृक्षों पर एक छोटे कीड़े के विमोचन से पैदा होता है। लाख के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है। प्रतिवर्ष करीब 5 करोड़ रु० की दुर्लभ मुद्रा लाख के द्वारा अर्जित की जाती है।

बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिकांश लाख पैदा होता है। देश में लाख का अनुमानित उत्पादन 30 हजार टन है। खादी ग्रामोद्योग के एक अनुमान के अनुसार इस उद्योग में 40 लाख परिवार लग हैं।

लाख का प्रयोग हस्तकला की चीजें, लाख की पट्टियां, चूड़ियां, फ्रेंच पालिश, वार्निश, ग्रामोद्योग रेकार्ड, फर्श फिनिशिंग आदि में होता है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1971-72 में 360 व्यक्तियों को इस उद्योग में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक रोजगार प्रदान किया गया। 1970-71 में लाख का उत्पादन 1.38 लाख रु० का खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा किया गया।

(5) **औषध पौध एवं फल का संग्रहण** :—वैदिक काल से ही भारत में पौध एवं फलों का ओषधी के रूप में उपयोग होता आया है। कुछ देशी औषधियां जैसे सर्पगन्धा या राऊवोल्फिया सर्पेन्टाइना तो उच्च रक्तचाप की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ओषधी हो गई हैं, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

औषधी के पौध एवं फल सरंक्षण में आन्ध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अग्रणी हैं। अकेले आन्ध्र प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम का 80 प्रतिशत पौध संग्रहित होता है। कुछ पौध एवं जड़ी-बूटियां तो अंग्रेजी दवाओं से भी महंगी होती हैं।

1971-72 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस उद्योग में 2.10 लाख रु० का ऋण एवं 5 हजार रु० का अनुदान प्रदान किया। करीब 3 हजार टन औषधि पौध संग्रहित किए गए। करीब 80 हजार लोगों को इस उद्योग के द्वारा लाभान्वित किया गया। आयोग ने पौधों को पहचानने, एवं अन्य प्रक्रियाएं करने के लिए 16 प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

(6) **फल विधायन एवं संरक्षण उद्योग** :—खादी ग्रामद्योग आयोग के एक अनुमान के अनुसार देश में 2 करोड़ टन फल प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं, जिसमें से केवल 0.5 प्रतिशत फलों का विधायन एवं संरक्षण किया जाता है जबकि इग्लैंड, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया में 40 से 50 प्रतिशत तक किया जाता है। देश में 5 से 30 प्रतिशत फल उत्पादनों का अपव्यय यातायात एवं उठाने-रखने में हो जाता है। इस तरह इस उद्योग में सुधार एवं उन्नयन के वृहद् अवसर उपलब्ध है।

1969 में केवल 1.5 लाख टन फलों एवं वनस्पतियों का विधायन किया गया था जो अब प्रतिवर्ष काफी द्रुत गति से बढ़ रहा है। इन वस्तुओं का विदेशों में निर्यात भी काफी बढ़ गया हैं। इंग्लैंड आस्ट्रेलिया, ईराक, रूस, जापान एवं जर्मनी में अचार, चटनी, मुरब्बा एवं मसाला की मांग काफी बढ़ गई है।

1966-67 से खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस उद्योग में संश्लिष्ट व्यक्तियों को आर्थिक एवं यान्त्रिक सहायता प्रदान कर विकास के अनेक मार्ग खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में अनेक सहकारी समितियों का गठन किया गया। 1971-72 में 2.91 लाख रु० का ऋण एवं 0.77 लाख रु० का अनुदान प्रदान किया गया। 151.8 लाख टन फल जिनकी कीमत 3.85 लाख रु० थी, उनका विधायन एवं संरक्षण किया गया। इसके अलावा करीब 350 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

वनोपज पर आधारित इन उद्योगों के महत्व को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजना में इन्हें काफी महत्व दिया गया है। अब इन उद्योगों को और अधिक वैज्ञानिक तरीकों से संचालित किया जाएगा एवं लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों पर 20 करोड़ रु० व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत अधिकोषों से भी करीब 4 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता इस उद्योग को प्रदान करेगी। इस तरह आदिवासी, वनवासी एवं पिछड़े हुए प्रान्तों में रहने वाले लोगों के उन्नयन के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे।

एम. पी. आर. 6 बी, जोन-2,
खुर्सीपार, भिलाई (म० प्र०)

उर्वरकों की कमी कैसे दूर की जाए ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए सीमित साधनों के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन पर बल दिया गया। कृषि युग का सूत्रपात हुआ और उन्नत एवं अधिक पैदावार देने वाले फसलों के बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का व्यवहार तथा खेती के आधुनिक तरीके अपनाने से पैदावार कई गुना बढ़ गई लेकिन उर्वरकों के प्रयोग के समय जैविक खादों के न प्रयोग करने के कारण भूमि में संचित उर्वरा शक्ति का तेजी से ह्रास होता गया।

तेल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उर्वरक निर्यात करने वाले देशों ने आपूर्ति बन्द कर दी तथा पुरानी मशीनों की उत्पादन क्षमता घटने के कारण एकाएक उर्वरकों की भारी कमी पड़ गई जिससे गत वर्ष चारों तरफ हाहाकार मच गया था। खादों की आवश्यकता और आपूर्ति की कमी को देखते हुए उर्वरकों की उपलब्धि की आशा करना व्यर्थ है।

रासायनिक खादों के बदले जैविक खादों का यदि प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम भरपूर फसल ले सकेंगे तथा उत्पादन में आशाजनक वृद्धि कर सकेंगे। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 22 करोड़ 60 लाख पशु हैं। यदि इनसे प्राप्त गोबर तथा मूत्र एवं वनस्पतियों के बचे भागों को कम्पोस्ट बनाकर खेती में डाला जाए तो करोड़ों टन अतिरिक्त पैदावार बढ़ेगी, गन्दगी दूर होने से कीड़े मकोड़ों तथा मक्खी मच्छर की कम वृद्धि होगी और मानव स्वास्थ्य सुधरेगा। जैविक खादों के बनाने के तरीकों तथा उपयोग के बारे में निम्नलिखित बातें जानकारी योग्य हैं।

एस० डी० राय

कम्पोस्ट—जैविक खादों में कम्पोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद है, पौधों की वृद्धि के लिए धूप, पानी, हवा तथा ताप आदि आवश्यक हैं लेकिन मात्र इन्हीं से पौधों का विकास नहीं होता। यह देखा गया है कि कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनकी अनुपस्थिति में पौधों में विकास बाधित होता है। इन तत्वों के लिए पौधे मिट्टी पर निर्भर करते हैं। अतः मिट्टी में खाद मिलाना आवश्यक है। पौधे को कुल 13 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस तथा पोटाश मुख्य हैं। बाकी 10 तत्वों की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है जो भूमि से पौधे प्राप्त करते रहते हैं। अन्य तत्वों के साथ कम्पोस्ट में नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अतः किसानों के लिए यह अच्छी खाद है। विभिन्न प्राकृतिक खादों में तत्वों की तालिका निम्न है :—

	नत्रजन	स्फुट	पोटाश
फार्म यार्ड	.4	.30	—
कम्पोस्ट	.5	.25	.5
प्रेसमड	.8-1.0	2.5-3.0	.8-1.0

कम्पोस्ट से लाभ

(1) इसके प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश स्थापित हो जाता है जिसे पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।

(2) मिट्टी की बनावट में परिवर्तन हो जाता है। यदि कम्पोस्ट बलुई दोमट मिट्टी में डाल दिया जाए तो वह मिट्टी की दशा को बदल कर जल संधारण शक्ति बढ़ा देता है और भारी केवाल मिट्टी में डाल दिया जाए तो हल चलाने में सुविधा होती है, भूमि में हवा का प्रवेश होता है तथा पानी मिट्टी में भीतर तक प्रवेश कर जाता है।

(3) मिट्टी में जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो पौधों को भूमि से भोजन लेने में मदद करते हैं।

(4) कम्पोस्ट का असर खेत में दो तीन साल तक रहता है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और लगातार कई अच्छी फसलें ली जा सकती हैं।

(5) कम्पोस्ट मिट्टी के क्षारीय या अम्लीय गुणों को सन्तुलित रखती है।

बनाने के तरीके

कम्पोस्ट बनाने के लिए 6 से 9 मीटर तक लम्बा तथा 1.2 मीटर चौड़ा एवं 9 से 1.05 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढे की लम्बाई चौड़ाई पशुओं की संख्या तथा उपलब्ध कूड़े-कचरे की मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन गहराई 1.05 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों के मतानुसार विभिन्न प्रकार के जीवाणु कूड़े कचरे में जाकर अपना आहार लेते हैं और उन्हीं की प्रक्रिया के कारण खाद तैयार होती है। गड्ढा घास-पात, पुआल तथा भूसे की

बची चरी ईख की पत्तियां आदि की 15 से० मी० मोटी परत बिछा देनी चाहिए। इसके बाद उसे पानी से भिगो देना चाहिए। इनके ऊपर गोबर, पानी तथा पशुओं के मूत्र की 5 से० मी० की एक परत बिछा देनी चाहिए, इसके ऊपर 1.25 से० मी० की मिट्टी की एक तह डाल देनी चाहिए। मिट्टी में प्रति 40 किलोग्राम 1 किलो अमोनिया सल्फेट और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिला कर डालने से उत्तम कोटि की खाद बनती है। इस प्रकार तह को भरते हुए जमीन से 45 से 60 से० मी० ऊंचा तक कर देते हैं और अन्त में मिट्टी की पतली परत से ढक देते हैं। खाद 6-7 माह में सड़कर तैयार हो जाती है। यदि गड्ढे में गोबर तथा पशुओं के मूत्र का ही प्रयोग किया जा रहा है तो उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अच्छी सड़ी कम्पोस्ट की पहचान है कि जब गड्ढे से खाद निकाली जाएगी तो उसका रंग काला होगा और हाथ डालने पर अधिक गर्मी मालूम पड़ेगी।

ध्यान देने योग्य बातें

(1) वनस्पतियों जैसे ईख की पत्ती, कूड़ा करकट, पुआल एवं भूसा का बचा भाग घास तथा पत्तियों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) जीवाणुओं को सक्रिय बनाने के लिए हर 15 से० मी० पर कूड़ा करकट डालना आवश्यक है।

(3) खाद बनते समय अम्ल की वृद्धि होती है। अतः प्रति मन कूड़ा करकट पर 1½ से 2 किलोग्राम चूना मिलाने पर खाद बढ़िया होती है।

(4) गड्ढा बगीचे से दूर तथा ऊंची जमीन पर होना चाहिए।

पशुमूत्र का प्रयोग

पशुओं के मूत्र में कम्पोस्ट में पाए जाने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, विभिन्न पशुओं के मूत्र में पाए जाने वाले तत्वों की सूची नीचे दी जा रही है :—

पशु	नाइट्रोजन,	फास्फोरस,	पोटाश,	पानी
गाय	1.00	—	1.35	91.5
घोड़ा	1.39	—	1.25	90.0
भेड़	1.35	.50	2.10	86.5

खेती की पैदावार बढ़ाने में पशुओं के मूत्र का उपयोगी स्थान है। जहां पशु बांधे जाते हैं वहां खेत से मिट्टी लाकर 5 से० मी० मोटी परत नीचे फैला देनी चाहिए। इससे पशुओं का मलमूत्र मिट्टी शोधित करता रहेगा। कुछ दिन के बाद मिट्टी को फावड़े से पलट देना चाहिए जिससे मिट्टी पशुओं के मूत्र से पूरी भीग जाए। दो तीन माह बाद मिट्टी को खोद कर गाड़ी पर लाद कर खेत में डाल देनी चाहिए। मिट्टी को हर तीन माह पर बदलते रहना चाहिए। इससे पूरे साल खाद तैयार होती रहेगी। मूत्र से सनी मिट्टी का प्रयोग वर्षा तथा गर्मी में सर्वोत्तम है।

जाड़े के दिनों में पशुओं के नीचे पुआल तथा घास पात बिखेर देना चाहिए। इससे मूत्र तथा गोबर बरबाद नहीं होता और इसका प्रयोग कम्पोस्ट के लिए किया जा सकता है।

हरी खाद

हरी खाद मिट्टी की उत्पादन शक्ति बढ़ाने एवं संचय करने में सहायक होती है। जैविक पदार्थों की मिट्टी में बहुतायत हो जाती है। रासायनिक खादों के अन्धाधुन्ध प्रयोग के आगे किसान हरी खाद का प्रयोग भूल गए। फलस्वरूप मिट्टी की संचित उर्वरा शक्ति का ह्रास होता गया और अब मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की नितान्त आवश्यकता पड़ गई है। हरी खाद का प्रयोग कर मिट्टी में जैविक पदार्थों को पुनः प्रस्थापित किया जा सकता है और उत्पादन शक्ति को कायम किया जा सकता है।

हरी खाद से लाभ

(1) हरी खाद से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है तथा मिट्टी में 50 से 60 किलोग्राम नाईट्रोजन प्रति हैक्टर (2.40 एकड़) में बढ़ जाता है।

(2) दलहनी फसलों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है।

(3) हरी खाद ऊसर भूमि को सुधारती है।

(4) घास पात का विनाश कर देती है।

(5) बलुई मिट्टी में पानी रोकने की शक्ति नहीं रहने के कारण पोषक तत्व विशेषकर नाईट्रोजन पानी के साथ घुल कर बह जाते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की पानी रोकने की शक्ति बढ़ जाती है।

(6) हरी खाद के सड़ने से कार्बन-डाइ आक्साइड गैस तैयार होती है जो पानी के साथ घुल कर तेजाब बनाती है और पौधे के लिए अप्राप्त तत्वों को घुलनशील बनाकर ग्राह्य बनाती है।

(7) वर्षा में सीधी बौछारें पड़ने से भूक्षरण होता है। हरी खाद के लिए उगाई गई घनी फसलें बौछारों को सीधे जमीन पर पड़ने से रोक कर भूक्षरण रोकती है।

(8) हरी खाद से मिट्टी की दशा में सुधार होता है।

(क) बलुई मिट्टी में जल संधारण शक्ति बढ़ती है।

(ख) कड़ी मिट्टी में वायु संचारण तथा जल विकास शक्ति बढ़ती हैं।

हरी खाद

हरी खाद के लिए दो मास वाली फसलों को प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए सनई ढैंचा, मूंग तथा लोबिया को प्रयोग में लाते हैं। हरी खाद के लिए सनई बोए जाने वाले खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार जुताई कर देनी चाहिए, फिर लकड़ी या लोहे वाले हल से जुताई करनी चाहिए। यदि पानी की सुविधा हो तो खेत में पानी देकर खेत तैयार करना चाहिए अथवा वर्षा शुरू होने पर 15 जून तक सनई बोनी चाहिए। एक एकड़ खेत में सनई बोने के लिए 40 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज छिड़क कर बोए जाते हैं। बरसात होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौधे तेजी

से बढ़ते हैं और 50-60 दिनों में पलटने योग्य हो जाते हैं। सनई को पटा चला कर पहले गिरा दिया जाता है, पुनः मिट्टी पलटने वाले हल से सीधी दिशा में जुताई शुरू की जानी है जिससे मिट्टी से सनई के पौधे ढक जाते हैं। यदि खेत में नमी नहीं रहे तो खेत की मेड़ बांध कर पानी से भर देना चाहिए जिससे आसानी से सनई की पत्तियां डण्ठल तथा जड़ सड़ जाती हैं। सनई को हरी खाद देने के बाद अगस्त में धान की रोपाई आसानी से की जा सकती है। नमी के अभाव में पौधे नहीं सड़ पाते जिससे दीमक लगने का भय रहता है।

सनई की तरह ढैंचा से भी हरी खाद बनाई जाती है। बरसात के शुरू में 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत तैयार कर छिड़काव विधि से बीज बो देने चाहिए। ढैंचा का बीज शीघ्र उग आता है तथा वृद्धि तेजी से होती है। पौधों को बढ़ जाने के बाद पाटा देकर मिट्टी पलटने वाले हल से जोत कर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। ढैंचा उलटने में ध्यान देना चाहिए। पौधे कोमल अवस्था में ही पलट दिए जाएं अन्यथा सड़ने में देर होती है।

कहीं कहीं धान के खेतों में जगह जगह ढैंचा की रोपनी कर देते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो पौधों को कुचल कर पानी में गाड़ देते हैं जो सड़ कर खड़ी फसल को खाद देते हैं।

उड़द, कलाई मूंग का भी हरी खाद के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। इसकी जड़ों में बैक्टीरिया (राइजोबियम रेडीसाकोला) रहते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींच कर मिट्टी में नाइट्रोजन स्थापित करते हैं। इसके लिए बैसाखी मूंग लगाना काफी लाभप्रद होगा। रबी फसल काटने के बाद खाली खेत की हल्की जुताई कर मूंग बो देनी चाहिए। अल्प समय में मूंग फलने लगती है। फल को तोड़ कर दाल के लिए प्रयोग में लाते हैं। पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से उलट कर मिट्टी में गाड़ देते हैं जो सड़ कर खाद का काम देते हैं।

फसल चक्र

बार बार एक ही फसल को बोते रहने से खेत की उर्वरा शक्ति तथा पौधों के उपयोग के कुछ आवश्यक तत्वों की कमी पड़ जाती है। फसल को बोने में ऐसा क्रम अपनाना चाहिए जिससे एक दलीय फसल (धान, मक्का) के बाद दो दलीय फसल जैसे चना, मटर, आदि लेना चाहिए। यदि किसी कारण से लगातार दो दलीय फसल एक ही खेती में ली गई तो गर्मी में मूंग या हरी खाद अवश्य लेनी चाहिए जिससे उर्वरा शक्ति कायम रहे।

यदि उपरोक्त विधियों का पालन कर कृषक उन्नत खेती करेंगे तो परिवार के लिए अधिक अन्न पैदा होगा। साथ ही साथ वर्तमान जनसंख्या तथा 56 हजार प्रतिदिन बढ़ रहे नए चेहरों के लिए अन्न जुटा सकेंगे।

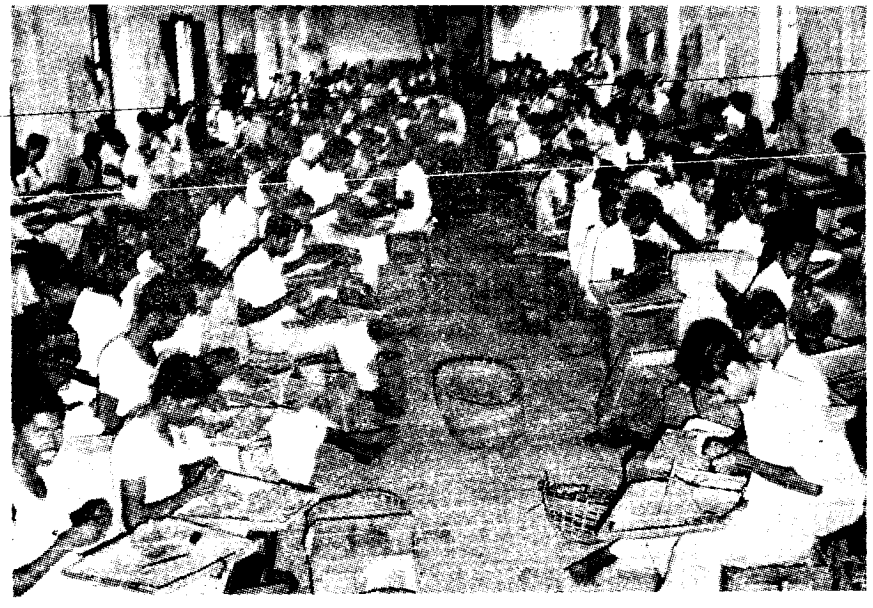

लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण

पी०एस० अनन्तरामन

अगले पांच वर्षों में 50 हजार लघु उद्योग यूनिटों के आधुनिकीकरण के उपाय करने के जिस प्रस्ताव की घोषणा हाल में औद्योगिक विकास उपमन्त्री श्री जेड० आर० अन्सारी ने मद्रास में की, वह बहुत सामयिक है। वैसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में और भी बड़े-बड़े प्रस्ताव हैं फिर भी लघु उद्योग क्षेत्र के उन हजारों लघु उद्योगपतियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार है, जो कच्चे माल, मशीनें और संयन्त्र सम्बन्धी उपकरणों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य और बिजली की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।

वास्तव में, यह कार्यक्रम भविष्य के लिए आशा की एक किरण है, इसलिए नहीं कि इससे पुरानी मशीनों के बदले नई मशीनें लगाने में मदद मिलेगी बल्कि इसलिए कि उन्हें इससे कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। आधुनिकीकरण के लिए चुने गए यूनिटों को पर्याप्त धन, कच्चा माल और आवश्यक टेक्नोलोजी

उपलब्ध होगी। यह सहायता 15 हजार यूनिटों को ही देने का प्रस्ताव है। दूसरे, यूनिटों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए आम सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। फिर भी, यह आशा है कि एक बार जब यह सहायता कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसमें तेजी आ जाएगी तो अन्य यूनिटों को भी सहायता दी जा सकेगी।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे-छोटे उद्योगों के मालिकों को पुरानी मशीनें बदलनी होंगी और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करनी होगी तथा मजदूरों को बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस क्षेत्र में योग्य इंजीनियरों के प्रवेश के सम्बन्ध में है। इन्हें पर्याप्त तकनीकी ज्ञान तो है लेकिन यूनिट को कार्यकुशलता से चलाने की विशेष जानकारी नहीं है। तीसरी बात यह है कि लघु उद्योगों को पिछड़े हुए इलाकों के विकास के लिए प्रभावशाली ढंग से [illegible]तेमाल किया जाएगा।

[illegible] क्षेत्र के यूनिटों के [illegible] की आवश्यकता बहुत [illegible] से महसूस की जा रही थी। आधुनिकीकरण का यह कार्यक्रम 'नेवालकर समिति' की सिफारिशों पर आधारित है।

पांच वर्षों में पचास हजार यूनिटों का आधुनिकीकरण बहुत बड़ा कार्य है। बड़े उद्योगों को अपने यहां स्थापित करने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकारों में प्रतियोगिता चलती रहती थी। इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग यूनिटों को कम महत्व दिया जाता था। लघु उद्योगों के लिए स्वीकृत राशि को दूसरे कार्यक्रमों पर लगा दिया जाता था। लेकिन खुशी की बात है कि अब अधिक से अधिक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में हुई लघु उद्योगों की प्रगति को देखकर लघु उद्योगों का महत्व और क्षमता समझने लगे हैं। केन्द्र को अब विश्वास है कि राज्यों की सहायता से इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।

यूनिटों का चुनाव

आधुनिकीकरण के लिए यूनिटों के चुनाव के लिए एक 6-सूत्री मापदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव है। उनमें से एक यह है कि चुना हुआ यूनिट कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो। दूसरी शर्त यह है कि यूनिट द्वारा निर्मित वस्तु का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हो। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि उद्योग या यूनिट प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में हो जिससे उन्हें सरकारी नीतियों के अनुसार कच्चे माल के रूप में उदार सहायता, पुर्जे और हिस्से दिए जा सकें और अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में समर्थ हो।

सरकार की योजना के अनुसार चुने हुए यूनिटों को किराया-खरीद के आधार पर मशीन और उपकरण खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। ब्याज के भार को कम करने के लिए सरकार एक कार्यक्रम द्वारा उनकी सहायता करेगी। ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

वित्तीय प्रोत्साहन

फिर भी लघु उद्योग यूनिटों के लिए केवल पर्याप्त ऋण सम्बन्धी व्यवस्था करना ही काफी न होगा। इन प्रयत्नों को उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन देकर सुदृढ़ करना होगा। संसद् की प्राक्कलन समिति ने पिछले वर्ष लघु उद्योगों के बारे में अपनी रिपोर्ट में इस पहलू पर अधिक जोर दिया था। इस समिति ने कहा है कि सरकार को लघु उद्योग यूनिटों को पहले पांच वर्षों तक आयकर, आयात व उत्पादन शुल्क जैसे सभी करों की छूट मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बिजली और परिवहन सुविधाएं भी रियायती दरों पर मिलनी चाहिएं।

छोटे युनिटों को ऐसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है। उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने में कठिनाइयों का सामना करना होता है क्योंकि अधिकतर यूनिटों की क्षमता किसी भी शासकीय अधिकृत संस्था में पंजीकृत नहीं है। फिर भी अब कच्चा माल मशीनों के मूल्य के आधार पर दिया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कच्चे माल की सप्लाई की मात्रा संयन्त्र की क्षमता से कम होती है। इसके परिणामस्वरूप यूनिटों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में किसी भी यूनिट को तब तक आधुनिकीकरण के लिए नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उन्हें वित्तीय रियायतें नहीं दी जातीं।

आधुनिकीकरण से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा अर्थात् उनकी वित्तीय और कच्चा माल सम्बन्धी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी, जिससे इस मुश्किल का हल निकाला जाए।

रोजगार

लघु उद्योग क्षेत्र में 1972-73 में लगभग 4 लाख यूनिट थे। इनका अनुमानित उत्पादन 58 सौ करोड़ रुपये मूल्य का है, जो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 38 प्रतिशत है। राष्ट्रीय आय में इस तरह से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों को, इस आधार पर कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था करना कठिन है, नजरअन्दाज करना ठीक नहीं है। अगर इस क्षेत्र के योगदान की एक प्रतिशत राशि भी जुटाई जाए तो यह राशि आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए काफी है।

लघु उद्योगों से रोजगार देने में मदद मिलती है इसलिए अधिक यूनिट खोलने का प्रस्ताव है। प्रधान मन्त्री के अनुसार यह गरीबी के अभिशाप से लड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए यह उचित ही है कि सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए एक सुनियोजित नीति की घोषणा की है जैसे कि इसने औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए किया था। □

रूपक

कृषिचर्चा-मण्डल

खुर्शीद नवाब

(रह-रह कर एक बूढ़े के खांसने की आवाज, एक बच्चे के रोने का स्वर, लगता है रात काफी बीत चुकी है।)

बूढ़ाः—(खांसते हुए बहू से) बहू ... ओ... .. (रोने की आवाज तेज) कैसी खर्राटे भर रही है! बच्चा पास में पड़ा रो रहा है, मगर उसे सुनाई नहीं देना (खांस कर थोड़ा जोर से) ओ बहू ......

बहूः—क्या है पिताजी ?

बूढ़ाः—रात कितनी निकल गई है, गणेश आ गया क्या ?

बहूः—नहीं।

बूढ़ाः—पता नहीं, इतनी रात गए तक कहां रहता है ?

बहूः—पंचायत घर में गए हैं। आते ही होंगे ?

बूढ़ाः—पंचायत घर में उसका क्या काम है ? बहू, वो रहा सीधा-साधा टेलर मास्टर। उसे वहां से क्या लेना देना ?

बहूः—वो तो नहीं बताते, लोग कहते हैं दो तीन दिन से कोई कमेटी बना रहे हैं।

बूढ़ाः—कमेटी बना रहे हैं ...... कौन सी कमेटी ?

(दरवाजा खटखटाने की आवाज)

बूढ़ाः—कौन गणेश ?

कमलाः—मैं हूं दादा जी।

बूढ़ाः—कमला ...... कहां थी री तू ?

कमलाः—दीनू की शादी में गई थी।

बूढ़ाः—इतनी रात हो गई ...... अभी तक नहीं आया।

बहूः—आते ही होंगे।

बूढ़ाः—घर की कुछ चिन्ता नहीं .... बेटी कमला .... तू ले चल मुझे पंचायत घर।

कमलाः—दादा जी .... मैं तो बहुत थक गई हूं।

बूढ़ाः—कितना लापरवाह हो गया है ?

बहूः—अब आप क्यों चिन्ता करते हैं ?

(दर्वाजा खटखटाने की आवाज)

बहूः—कमला ... दरवाजा खोल ......

गणेशः—(प्रवेश) अरी तू अभी तक सोई नहीं।

कमलाः—नहीं ...... तो .. ....

गणेशः—सुन्दर और किशोर........

बूढ़ाः—जागते जागते सोते हैं और सोते सोते जागते हैं।

गणेशः—पिताजी आप......

बूढ़ाः—हां......इतनी रात गए तक कहां रहता है तू ?

गणेशः—पंचायत घर गया था, थोड़ा सा......

बूढ़ाः—थोड़ा सा तो नहीं। पूरा का पूरा गया तू तो काम से।

गणेशः—आप को क्या कष्ट हो रहा है......मैं अपने और पूरे गांव के भले के लिए कार्य कर रहा हूं।

बूढ़ाः—ये नेतागीरी की बू कहां से आ गई तुझमें

गणेशः—अपनी और अपने गांव की उन्नति के लिए संघर्ष करना नेतागीरी नहीं पिताजी, मानवता है मानवता... ..

बूढ़ाः—अरे मिली मिलाई रोजी को छोड़कर, दूसरी ओर भागेगा, तो बाल बच्चों के साथ मुझे भी भूखों मारेगा।

गणेशः—भगवा नृसबका पालन हार है......फिर परोपकार भी एक प्रकार का पुण्य है

बूढ़ाः—वो तो ठीक है पर ?

गणेशः—हम लोगों ने मिलकर एक समिति, एक मण्डल बनाया है।

बूढ़ाः—हम लोगों से तेरा तात्पर्य......

गणेशः—जैसे गांधी जी, सरपंच जी, पटवारी जी, मैं और आपनी यशोदा बहन का लड़का, जो अभी अभी कृषि महाविद्यालय से प्रशिक्षण पाकर आया है।

बूढ़ाः—और तो सब ठीक है, यशोदा के लड़के से तेरा मेल जोल अच्छा नहीं। क्यों बहू ?

बहू—हां पिताजी, उसकी डेढ़ गज लम्बी जीभ है, जरा सा पढ़ लिख क्या गया घमण्ड से धरती पर पांव नहीं रखता।

गणेशः—कुछ भी हो एक विधवा स्त्री ने, किस प्रकार संघर्ष करके अपने बेटे को इस योग्य बनाया, पूरे गांव वालों के लिए गर्व का विषय है।

बूढ़ाः—वो तो ठीक है पर उससे हमारा खानदानी बैर है।

गणेशः—पर उसमें तो मैंने बैर या दुश्मनी के कोई लक्षण नहीं देखे, सबसे बड़ी नम्रता और सद्भाव से मिलता है, और आज उसकी प्रेरणा से पूरे गांव में एकात्मकता का वातावरण उत्पन्न हो गया है, जो शायद पिछले कई सालों से नहीं रहा था।

बूढ़ाः तो आखिर तुम लोग मिलजुल कर कौन सा पर्वत खोद रहे हो ?

गणेशः—पर्वत नहीं खोद रहे पिताजी, वर्षा से पूर्व मैदान खोद लेना चाहते हैं।

बूढ़ाः—वो तो वर्षों से होता आया है.. तुम कौन सी नई योजना का प्रारम्भ कर रहे हो ?

गणेशः—यही एक बात तो सोचने की है पिताजी .. ..वर्षों से जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, उसे त्याग कर, नवीन भय्या ने जो वैज्ञानिक उपकरणों और साधनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके अनुभवों से लाभ उठाकर कृषि के नए नए साधनों को उपयोग में लाकर, उपज को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं।

बूढ़ा:—अरे, बड़ा भोला हुआ है रे गणेश.....मालिक को जितना देना होता है, इसी धरती में से देता है....और यदि पापों का भण्डार भर जाता है, तो प्रकृति कोई न कोई प्रकोप कर सारी खेती को नष्ट कर देती है।

गणेश:—पिताजी, अब वो समय नहीं रहा कि किसान भगवान और प्रकृति पर आश्रित रहें ... आज के इस वैज्ञानिक युग में, हर शंका का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है।

बूढ़ा:—अच्छा तो ये बता.... तेरा विज्ञान, वर्षा न होने पर भी खेती को हरी भरी रख सकता है.....आंधी और तूफानों से खेती को नष्ट होने से बचा सकता है ... एक का दस गुना अधिक उपजा सकता है ?

गणेश:—पिताजी ...आपकी एक एक बात का मेरे पास जवाब है। यदि वर्षा पूरी न हुई तो, सरकार बड़े बड़े बांध बना रही है, उसका पानी ग व गांव में, नहरों द्वारा खेत में पहुंचाया जा सकता है.....आंधी और तूफानों का ज्ञान भी हमें समय से पहले हो जाता है। उसके लिए उचित साधन किए जा सकते हैं.....रहा एक का दस गुना अधिक उपजाने का प्रश्न, तो यह उसी समय, सम्भव हो सकता है जब सारे कृषक मिलकर एक संगठन करें, और नए नए उपकरण, वैज्ञानिक खाद, और प्रामाणिक बीजों को काम में लाएं तो एक का दस गुना तो क्या, सौ गुना अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए फिलहाल तो हमने एक कृषि चर्चा मण्डल बनाया है।

बूढ़ा:—यह क्या होता है.....?

गणेश:—सरकार अपनी ओर से किसानों को नए नए परीक्षणों, नई खोजों एवं नई सामग्री से अवगत कराने के लिए कई रूपों में प्रयास कर रही है ....जैसे रेडियो, अखबार, पुस्तक, ग्राम सेवक ....परन्तु रेडियो प्रत्येक कृषक के घर में नहीं होता। शिक्षा की कमी से कुछ कृषक अखबार और खेती बाड़ी की पुस्तकें भी नहीं पढ़ सकते तथा ग्रामसेवक भी सभी किसानों से एक साथ सम्पर्क नहीं कर सकते। इसलिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक कृषक, थोड़े ही समय में सभी साधनों द्वारा खेती-बाड़ी की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।

बूढ़ा:—तो मण्डप बनाने से भी क्या होगा ....?

बहू:—मण्डप नहीं पिताजी .. मण्डल .. कृषि, चर्चा मण्डल।

बूढ़ा:—चरचा मण्डल .....

गणेश:—हां .. इसमें गांव के अधिक से अधिक किसान स्त्री-पुरुष, एक स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार इकट्ठे होंगे।

बूढ़ा:—उससे क्या होगा ?

गणेश:—होगा क्या.....सदस्यों में आत्मीयता का विकास होगा .. चर्चा मण्डल के सदस्य संगठित रूप से कार्य करना सीखेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि सदस्यों क विभिन्न कृषि सम्बन्धी समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान होगा।

बूढ़ा:—और जो मुझ जैसे अनपढ़ गंवार किसान, किसी समस्या में उलझ पड़ें तो कौन सम्भालेगा ?

गणेश:—नहीं पिताजी, इन सदस्यों में से जो सबसे अधिक कुशल अनुभवी एवं प्रगतिशील कृषक होगा उसे अपना संयोजक चुन लेंगे।

बूढ़ा:—उससे क्या होगा ?

गणेश:—उसके नेतृत्व में अन्य सदस्यगण, विशेष रूप से जिन्होंने कृषि प्रशिक्षण प्राप्त किया है अपने अनुभवों से दूसरे किसानों को उन्नत विधियों से लाभान्वित करेंगे।

बहू:—लेकिन आपकी इस योजना पर गांव वाले विचार करें तब न ?

गणेश:—इस विषय में हम सभी गांववासियों से, विशेष कर कृषकों से, घर घर जाकर राय ले चुके हैं हमें गर्व है कि हमारे कृषक भाइयों ने हमारी इस योजना का हार्दिक स्वागत किया है।

बूढ़ा: तो गणेश मुझे अपने मण्डल का संयोजक बना ले।

गणेश:—नहीं पिताजी, संयोजक के लिए कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए।

बूढ़ा:—वो क्या ?

गणेश:—पढ़ा लिखा हो .. स्वयं खेती करता हो .. कृषि की उन्नत विधियों की जानकारी रखता हो।

बूढ़ा:—तो वो मैं सब सीख लूंगा .. फिर खेती तो अपने है ही क्यूं बहू ?

बहू:—हां .... क्यूं नहीं मेरे घर में भी चर्चा मण्डल है और मेरे पिताजी उसके संयोजक हैं।

गणेश:—मगर इन योग्यताओं के अलावा भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए।

बहू:—हां पिताजी, कहते हैं संयोजक को व्यावहारिक जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।

बूढ़ा:—वो कैसे ?

बहू:—मेरे पिताजी, किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करते हैं। किसी भी समस्या पर वाद विवाद करके बिना पक्षपात के फैसला लेते हैं और इसीलिए सब किसानों द्वारा पसन्द भी किए जाते हैं।

बूढ़ा:—तो यह सब मैं भी करूंगा।

गणेश:—पिताजी संयोजक के कार्य बड़े लम्बे चौड़े हैं।

बूढ़ा:—वो क्या क्या हैं ?

गणेश:—अब देखिए न .. विचार विमर्श के लिए, केवल एक बैठक बुलाने में कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सभी सदस्यों को समय, स्थान व तारीख से पूर्व अवगत कराना।

बहू:—मेरे पिताजी तो बैठक की जगह पानी, रोशनी और श्यामपट्ट का इन्तजाम भी किया करते हैं।

गणेश: —बिल्कुल .... समय से पूर्व पहुंच कर विचाराधीन बिन्दुओं को श्यामपट्ट पर लिख, रेडियो को व्यवस्थित करना पड़ता है।

बहू: —और सभी सदस्यों के आने के बाद, कृषि सम्बन्धी अपने विचार भी रखने होते हैं।

गणेश:—आज तो हमने कुछ अधिकारीगणों को भी बाहर से बुलाया, फिर सभी सदस्यों को अर्द्धचन्द्राकार में बिठाया और विचार विमर्श के बाद कई निर्णय लिए।

बूढ़ा:—और जो नहीं आए उनके लिए क्या किया ?

गणेश:—उन्हें अगली बैठक की सूचना देते हुए आज के निर्णयों का ब्यौरा लिख भेजेंगे।

बूढ़ा:—तब तो वाकई संयोजक को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।

बहू:—मेरे पिताजी तो चर्चा मण्डल के सदस्यों के खेतों पर भी जा-जा कर उनका मार्ग दर्शन करते हैं।

गणेश:—हमने भी बाहर से कृषि विशेषज्ञों को खेतों का निरीक्षण कराने के लिए आमन्त्रित किया है।

बहू:—मेरे पिताजी खुद भी एक दो बार, खेती की विशेष जानकारी लेने जा चुके हैं, क्या यहां ऐसा नहीं होता है ?

गणेश:—धीरे-धीरे सब होगा।

बूढ़ा:—तो गणेश . यह सब कार्य तो तू अच्छी तरह कर सकता है।

गणेश:—नहीं पिताजी, हमने नवीन भय्या को अपना संयोजक चुन लिया है। अब वही इस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाएंगे।

बहू:—दूसरे गांवों की तरह हमारे गांव में भी उन्नत विधियों से काम होगा तो किसान अब अधिक समय तक गरीब नहीं रहेगा।

बूढ़ा:—हां गणेश, कृषि की उन्नति ही गांव की उन्नति है। अनाज अधिक पैदा होगा तो गांव के साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा।

गणेश:—तो पिताजी अब तो आप नाराज नहीं मेरे देर से आने के कारण।

बूढ़ा:—नहीं-नहीं, अपने साथ दूसरों का भला सोचने वाले से तो भगवान् भी प्रसन्न होते हैं।

गणेश:—कमला की मां... अब तो खाना खिलाओ।

बहू:—अरे मैं तो भूल ही गई। आओ रसोई में चलें।

54, रूप-वन
वर्मा कालोनी
सविता उदयपुर (राज०)

जिन्दगी का मेला

रामलाल अहेरवार

जिन्दगी का मेला लगा देखा,
खुशी के गीत कानों से सुने हैं,
कहां ? कालागढ़ के पास रामगंगा पर,
बीहड़ जो सुनसान धरा थी,
आज वहीं पर नया खून खौला है,
नई जवानी मचल पड़ी है,
करने को नव-निर्माण देश का,
भूखे नंगे निकल पड़े हैं।
रोटी के भूखे इन इंसानों का,
उत्साह अजब है,
मरने पर हो कफन भले ना,
मन में देश बनाने की धुन है,
क्या नहीं जानते हैं वह,
बांध न इनकी जागीर बनेगी,
पर इन्हें गर्व है इसी बात पर,
लाखों नर-नारी खुशहाल बनेंगे।
जमाना इन्हें कहता मजदूर है,
मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं,
हम कहते नया इतिहास लिखते हैं,
हथौड़ा इनकी लेखनी भीषण,
नव-निर्माण की शैली अनूठी है,
धरा की पीठ पर लिखते,
श्रम-सीकर स्याही हैं,
इनके सम्वाद दुनिया के वादों से कोसों दूर हट,
हमें प्रकृति का सन्देश देते हैं।

सिद्ध पुरुष

रामेश्वर उपाध्याय

यह कहानी आपके समक्ष कभी नहीं आ पाती यदि मैं माधोपुर में उस रात न रुका होता और अगर रोडवेज की बस खराब नहीं हुई होती, वरना माधोपुर कोई बड़ा गांव नहीं है। सौ डेढ़ सौ कच्चे-पक्के घरों वाला लम्बोतरा गांव। पुराने जमाने के ध्वस्तप्राय और जीर्ण तालाब के किनारे-किनारे दूर तक बसा हुआ है। इसी से कस्बे का भ्रम हो जाता है। पहले चुनावों के वक्त यहां स्टैंड बना, तभी बसें रुकने लगीं और छोटी मोटी दो दुकानें भी बन गई। सस्ती सिगरेटें, बीड़ी-माचिस, गुड़ के सेब और आधुनिकता का सबूत चाय के प्याले और अंगीठी पर खौलता हुआ चाय का पानी।

ड्राईवर, जो अब तक बस के नीचे लेट कर मरम्मत करने में जुटा था, बाहर निकल आया। दोनों हथेलियां जोर से थपथपाईं और अधबुझी बीड़ी को मुंह से निकाल कर दाएं हाथ की उंगलियों में थाम कर कहने लगा "बस भैया, हो गया कल्याण। टंकी फट गई है। अब कल तक.....।"

कंडक्टर ने बुदबुदाकर किसी पुर्जे की बात कही।

इस पर ड्राईवर ने निर्णय के स्वर में जवाब दिया—"सब देख लिया यार। कल पहली बस आएगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा।"

गांव के बच्चे तमाशा देखने इकट्ठे होने लगे थे। बड़ी आंखों वाले काले-गोरे गुड्डे-गुड्डियां। धूल से सने पैर, बिना बटन की कमीजें और चेहरे पर सौम्यता। अब क्या होगा, ये सवारियां कहां ठहरेंगी सफेद पैंट बुशर्ट वाले, कीमती साड़ियों के बंडल जैसी शहरी औरतें।

दूकानदार ने चाय के प्याले साफ करने शुरू किए तो सवारियां उधर ही मुड़ गईं। मगर सब को चाय मिलना कठिन था। शाम का दूध आने में अभी देर थी। और बित्ते भर की दुकान। यहां कौन बाल्टी भर कर दूध रखे। कुल दस पांच कप चाय दिन भर में बिकती है। वह भी जब बस आने में काफी देर हो जाए। देहाती आदमी, आसानी से पैसा नहीं खर्चते।

किसी ने कहा—लालो काका के यहां से मंगा लो।

—अरे, कहीं बिगड़ गए तो, उनका कुछ भरोसा नहीं। हाल नरम हाल गरम, दूकानदार ने उत्तर दिया और अपनी भट्टी की सम्भाल में लग गया।

—चल डरपोक। अरे इसमें भी कोई बात है। बाहर के आदमी आए हैं—इन्हें चाय वाय तो मिल जानी चाहिए। पैसा खरच करके भी चीज न मिले, इसमें तो पूरी गांव की बदनामी है। वह नौजवान कहे जा रहा था—अच्छा मैं जाता हूं।

—भैया, मेरा नाम न आए। वह गरम मिजाज आदमी हैं। कह कर दूकानदार चाय की छलनी को केतली से ऊपर रखने लगा।

—कौन है, जिससे इतना डरते हो? आखिर पैसा देकर ही तो दूध खरीद रहे हो। मैंने दूकानदार से सवाल किया। उत्सुकता इतनी बढ़ी कि बिना पूछे रहा नहीं गया।

उसने मुझे घूर कर देखा। नाराजी की नजर। मगर फिर कुछ बदलने की कोशिश। पता नहीं उसने मुझे अक्सर आने जाने वाली सवारी समझा हो। शायद इसीलिए परिचितों वाली शैली में कहने लगा—अजी वही अपने लालो काका। मन का बड़ा राजा है।

फिर कुछ ठहर कर मानों उसने अतीत का कोई पृष्ठ खोला और कथा-वाचक के अन्दाज में बोला—साईं करमन की गति न्यारी। किसी दिन पड़ोस के छप्पर में वह भी ऐसी ही दूकानदारी करता था। तभी दिन फिरे और आज लाखों का मालिक है। न जोरू न जाता। इतनी धन-सम्पत्ति और गृहस्थ बसाने का नाम नहीं। कहता है, गरीबी में जमाने ने नहीं की तो अमीरी में अब मैं खुद नहीं करूंगा।

उस अजीबो गरीब आदमी के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हुई। इस सम्बन्ध में जरूर पूछता मगर तभी दूर से डांटने की आवाज आई—

—अरे साले गोबरा। तू खुद जाकर नहीं ला सकता था जो इस पंडित को भेजा।

दबदबे वाला अधेड़ सा व्यक्ति। हाथ में छड़ी और दकादक सफेद कुर्त्ता। सलीके से पहनाव-उढ़ाव। रंग काफी काला, गठा हुआ बदन। एक लम्बा तड़ंगा व्यक्ति पान चबाता हुआ हमारी ओर बढ़ा आ रहा था। पीछे वही लड़का था जो अभी-अभी दूध की कहने गया था। मैं समझ गया, यही लालो चौधरी था।

उसे देखते ही, बस का ड्राईवर और कंडक्टर नमस्कार करते हुए इधर ही आ गए। कुछ सवारियां भी इधर आकर्षित हुईं।

—क्या हुआ रामलखन। बेबस हो गए।

—हां काका। कल से ही खराब थी। मैंने कहा भी, मगर सुनता कौन है। कहते हैं, यह ट्रिप तो लग ही जाएगी। अब लग गई ट्रिप। ड्राईवर बोला।

- काका, अब इन सवारियों का क्या होगा हमारी तो आखिरी गाड़ी है, आज।

लालो काका की घनी मूंछें हिलीं। मुस्कराया और एक हाथ ऊपर उठाकर बोला—घबड़ाया नहीं करते बेटे। मशीन ही तो है, खराब हो ही जाती है।

—मैं अपने लिए नहीं घबड़ाता

काका। मगर ये सवारी जो हैं -कंडक्टर बोला।

--सवारियों की चिन्ता मत कर। ट्राली की सफाई कराए देता हूं। इसमें एक त्रिपाल बिछवा लो अपनी सवारियों को बिठाल कर ले जाओ।

शहर जाने का इन्तजाम हो गया है, यह सुनकर सारी सवारियां काका के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। वही खुमर-पुमर मुझे तो आज रात शादी में जाना है, मुझे गाड़ी पकड़नी है, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।

तभी उस लड़के ने कहा मगर ट्रैक्टर तो कलुआ ले गया है, इधर को।

—हां हां, घोसीराम का माल गया है न आज। आठ बजे तक आ जाएगा। वही इन्हें शहर छोड़ आएगा। काका ने कहा और फिर आदेश देते हुए बोला— तब तक आप सब लोग हमारे मेहमान हो, चौपाल पर आराम करो, वहीं चाय पानी का इन्तजाम हो जाएगा। इस साले के पास तो कप भी नहीं हैं। अब भला ये कोई कप हैं—इनमें कोई कैसे चाय पी सकता है, सौ बार कहा है, जरा सफाई से रहना चाहिए। चार पैसे कमाए तो दो पैसे खर्च भी करे। जरा ढंग के प्याले नहीं ला सकता।

फिर वह उस लड़के की ओर मुड़ा-- पंडित तू इन सब बाबू लोगों का लेजा। तालाब के किनारे मूढ़े, कुर्सी, पलंग जो कुछ मिले डलवा देना। वहां ये लोग मछलियों का नजारा लेंगे। तब तक मैं फार्म का चक्कर लगा आता हू। चाय के साथ आमलेट चलता है, इन शहरवालों का।

—और जो न खाएं। नौजवान ने प्रश्न किया।

--अरे जो अंडे नहीं खाते हों, उनके लिए हलुवा बनवा देंगे। मैं, मिसरानी को भी आवाज देता आऊंगा। उसका सा हलुआ तो शहर के हलवाई भी नहीं बना सकते। जा तू ले जा सबको।

लालो काका मुड़ा और फार्म की ओर बढ़ा। "लालो पोल्ट्री फार्म" का बड़ा साइनबोर्ड साफ दिखाई दे रहा था। धीरे-धीरे सवारियां सामने चौपाल की ओर खिसकने लगीं।

मगर मैंने दूकानदार के बाईं ओर पट्टे पर आसन जमाया। बड़ा अजीब लग रहा था आजकल के जमाने का कोई आदमी चालीस व्यक्तियों को अकारण आमलेट, हलुआ और चाय की खातिर कर सकता है, यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी।

भैया, एक पैकेट पासिंग शो देना। कहते हुए एक अठन्नी दूकानदार के हाथ पर रखी। और पूछा--यार तुम्हारा लालो काका तो बाकई राजा आदमी है। इस पर भी दूकानदार ने कुछ उत्तर नहीं दिया और एक घटिया सी पुरानी पैकेट मेरे हाथों में थमाई। मैं चाहता था वह कुछ बोले और बताए। इसलिए मैंने उसकी दी हुई पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और बड़े सामान्य ढंग से सिलगाई। फिर धीरे से कहा--भैया, क्या कह रहे थे, पहले यह यहीं दूकान लगाता था।

--और क्या। ये सामने जो चबूतरा है यहीं इसकी ऐसी ही दूकान थी। मेरी ही जैसी दूकान। आज बीसों तो नौकर हैं इसके। वह हवेली बनवाई है। ट्रैक्टर है, फार्म है, मछली पालने का तालाब है और इतने ठाठ बाट हैं। रेल में अण्डे सप्लाई होते हैं -लाखों का कारबार है और यह सब पन्द्रह बीस साल में हो गया करमन की गति।

बात तो अचम्भे की है। मैंने कहा।

—अचम्भा ही समझो। तब पन्त जी की मिनिस्ट्री थी। गर्मी के दिन थे। मगर वह एक हस्ती थी जो गर्मी पड़ने की चिन्ता नहीं करती थी। निकले दौरे पर। मैं किसी ग्राहक को सौदा दे रहा था; मेरी नजर पड़ी। पन्त जी। फौरन पहचान लिया। अखबार में फोटू जो निकलता था। फौरन भाग कर जीप के पास गया। जैरामजी की हुई। क्या देवता जैसा आदमी था। लम्बी लम्बी मूछें--हंसकर पूछने लगे- कहो भाई। तुम्हारी दूकानदारी कैसी चल रही है? अब देखो इसे कहते हैं असली नेता आदमी। न जान न पहचान, फौरन पहचान लिया, अजी ये लोग एक बार देख कर कभी भूलते नहीं। मैंने पैर पकड़ लिए, पंडित जी आपके चरणों की कृपा है, सब सुख हैं आपके आशीर्वाद से। इसी तालाब से पानी लाकर जीपों में डाला गया। तब तक पन्त जी उतरे और बड़े-बड़े अफसर उनके आगे पीछे थे, उनसे अंग्रेजी में आर्डर दिए। तालाब की ओर इशारा किया, बड़ी देर बातें होती रहीं। मैं उनके साथ ही खड़ा रहा। कोई बात नहीं। फिर उनकी जीप स्टार्ट हुई -घर्रर्र मैंने फिर हाथ जोड़ कर नमस्कार किया। इत्ता बड़ा आदमी मगर घमण्ड बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ जोड़ कर नमस्ते का जवाब दिया --चलते वक्त दो अफसरों को हुक्म देते गए— यह काम पूरा करके रिपोर्ट दो। और तब तक यहीं रुको।

वह तो चले गए। मगर दो अफसर और एक जीप यहीं रुके। एक दिन, दो दिन, तीन दिन। घर घर जाकर कहें— भई अंडा फार्म खोलो। दूसरा कहे— मछली के बीज ले लो। मगर गांव में कोई राजी नहीं। हमने तो साफ कह दिया- हत्या का काम नहीं करेंगे। आखिर लालो ने हां कर दी। अब तो मुर्गी, मुर्गा ट्रकों में भर कर गांव में आने लगे। उनकी खुराक भी सरकार देती रही। बोरियां भर कर खुराक आती थी।

जालियां, टिन और न जाने क्या क्या सरकार देती रही। शुरू में तो उनके अण्डे लेने के लिए भी सरकारी इन्तजाम था। वही काम बढ़ते बढ़ते आज लालो काका के ये ठाठ हैं। अब देखो, तालाब में कुछ 100 मछलियां डाली गई थीं। अब सालों हो गए, हर हफ्ते एक हजार मछलियां यहां से जाती हैं। और मुर्गी के मामले में तो लालो काका का जवाब ही नहीं है। और भैया, एक हम हैं -कह कर उसने चौपाल की ओर देखा।

बड़ी प्लेटों में आमलेट खाते हुए बस की सवारियां, निश्चय ही कुछ प्लेटों में हलुआ भी होगा। चाय के प्याले धोता हुआ एक लड़का हमारी ओर देखता हुआ चीख रहा था--अरे उन बाबू जी को भेज दे। काका वे कहां है।

[शेष पृष्ठ 36 पर

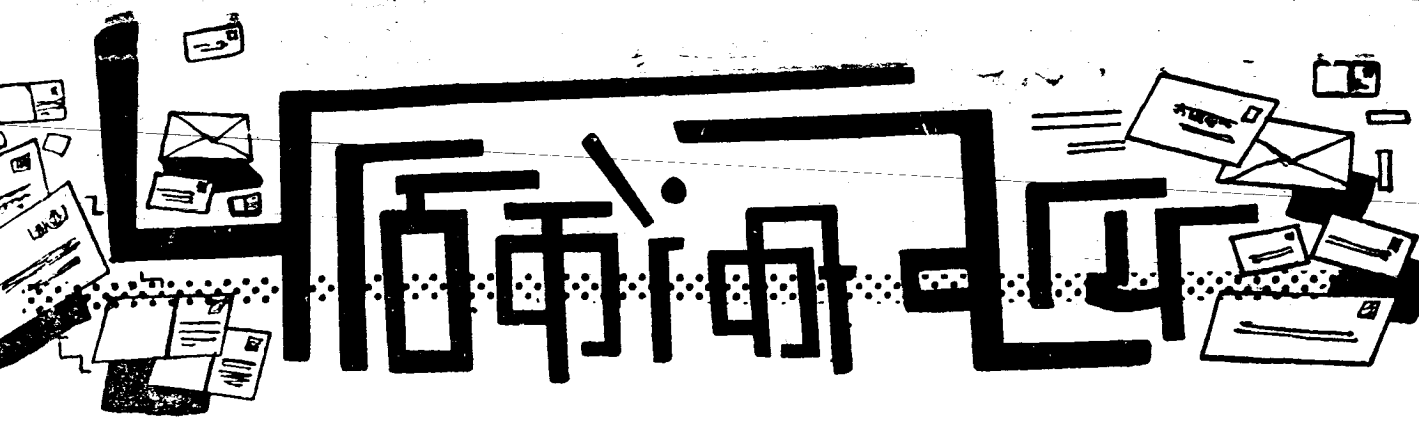

युवकों में नशे की लत : सत्यानाश की जड़

नशे की वस्तुओं का प्रयोग हमेशा से ही एक सामाजिक बुराई रही है । प्राचीन समय में सामन्तों के युग में मदिरापान और नाचगान चलते ही रहते थे तथा यह एक रिवाज में आ गया था ।

हमारा ध्यान युवकों द्वारा मादक-द्रव्यों के प्रयोग की ओर जाता है तथा यह सोचकर महान् दुःख होता है कि आज के युवक अपने शरीर को तो जर्जर बना ही रहे हैं, साथ ही देश का भविष्य भी अन्धकारमय बना रहे हैं ।

नशे की विभिन्न किस्में होती हैं : जैसे भांग, गांजा और चरस । भांग को ठंडाई, मीठे आदि में मिलाकर या ऐसे ही गोला बनाकर खाते-पीते हैं, गांजे तथा चरस का प्रयोग तम्बाकू में मिलाकर किया जाता है ।

मदिरापान : यह 16 वीं शताब्दी का पानी भी कहलाता है । एक लेखक ने ठीक ही लिखा है कि ज्यादातर मनुष्य शराब के नशे में डूब कर मरे हैं न कि समुद्र में । शायद मदिरा पान सब मादक वस्तुओं में पुराना माना जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि जब समुद्र-मन्थन हुआ था तब और रत्नों के साथ साथ मदिरा भी निकली थी । अफीम तथा कोकीन आदि का प्रयोग भी नशे के लिए किया जाता है ।

पिछले कुछ वर्षों से नई नई दवाइयों का प्रयोग चिकित्सा के प्रयोग के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए किया जा रहा है । जैसे, मेन्ड्रेक्स, वेसपेरेक्स, एल० एस० डी०, पेथेडिन आदि सैकड़ों दवाइयां ऐसी चल गई हैं जिनका सेवन नशे के लिए किया जाता है । नतीजा यह है कि आज हमारे युवकों के दिल दिमाग दोनों ही विकृत होते जा रहे हैं । मां-बाप तथा गुरु के प्रति उनका आदर भाव नहीं है । वे चरित्र से हीन हैं । वे हमेशा यही शिकायत करते पाए जाते हैं कि उनके मां-बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, समाज ने कुछ नहीं किया तथा सरकार भी कुछ नहीं करती । पढ़ लिख भी लें तो नौकरी कहां है तथा उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और वे रहना तो ठाटबाट से चाहते हैं मगर काम से जी चुराते हैं । स्कूल तथा कालेज में ऐसे साथियों के सम्पर्क में आते हैं जो परम्परागत वस्त्रों तथा केशों का त्याग कर देते हैं । पढ़ाई-लिखाई की ओर उनका ध्यान नहीं । स्कूल तथा कालेजों में हड़तालें करना, बात बात में अध्यापकों से लड़ना-झगड़ना और बुजुर्गों का अपमान करना उनके जीवन का नियम बन गया है । ये सभी बुरी आदतें उन्हें पश्चिमी देशों के बिगड़े युवकों के अन्धानुकरण से प्राप्त हुई है । यह तो सभी जानते हैं कि किसी देश का भविष्य युवकों के हाथ में ही होता है । वे चाहें तो उसकी मशाल को ऊंचा उठा सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, और चाहें तो गढ़े में गिरा सकते हैं । पर नशे में चूर आज के हमारे युवक राष्ट्र के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं ।

एक तो ये तरह तरह की दवाइयां केमिस्टों के यहां से या कालिज केम्पस, होस्टल आदि में आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तथा इनका प्रयोग वह इसलिए भी पसन्द करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती जबकि वह शराब की दुकान पर जाने की अपेक्षा केमिस्ट की दुकान पर जाना अधिक पसन्द करते हैं ।

आज के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, नेताओं आदि के लिए यह एक चिन्ता का विषय बन गया है । समय-समय पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी तथा सम्मेलन भी होते रहते हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसके ऊपर अध्ययन भी हो रहा है ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके तथा युवकों को बताया जा सके कि अमुक दवाई तथा नशे की वस्तु के प्रयोग से क्या क्या हानियां हैं क्योंकि यह सिद्ध हो गया है कि लगातार इन वस्तुओं के सेवन से विभिन्न प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं ।

रोकथाम कैसे हो ?

पहला कर्त्तव्य तो घर वालों का है कि वे अपने बच्चों के चाल-चलन, उठने बैठने और खान पान के तौर तरीकों

की ओर ध्यान दें। जब बच्चों के मां-बाप सच्चरित्रता तथा साधुता का जीवन यापन करेंगे, अपने को नशीली वस्तुओं के प्रयोग से दूर रखेंगे और संयम नियम का पालन करेंगे तो उनके बच्चों पर भी अच्छा संस्कार पड़ेगा और बच्चे भविष्य में राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। स्कूल और कालिज में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो छात्र गम्भीरता पूर्वक पढ़ाई करना चाहते हैं उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिलें और जो केवल ऊधम मचाने के लिए, बुरा वातावरण पैदा करने के लिए तथा अच्छे और होनहार छात्रों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं उनकी ओर खुफिया तौर से निगाह रखी जाए। उपद्रवी और चरित्रहीन छात्रों को सुधारने की कोशिश की जाए और यदि वे सुधारने की कोशिश करने पर भी न सुधरें तो स्कूल तथा कालेजों से बहिष्कृत कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्कूल और कालिज में छात्र उचित प्रकार के कपड़े पहन कर जाएं, ठीक प्रकार से उनके बाल बने हों तथा वे सादगी से रहें। छात्रों के संरक्षकों और अध्यापकों की मुलाकातें महीने में कम से कम एक बार हों और छात्रों के चाल-चलन से संरक्षकों को अवगत कराया जाता रहे। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र के चाल-चलन तथा व्यवहार के लिए अंक निर्धारित किए जाएं। तभी उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए जब उसे चाल चलन के समुचित अंक प्राप्त हों। केवल वही छात्र उच्च शिक्षा के लिए अधिकारी समझे जाएं जिन्हें समुचित मात्रा में चाल-चलन और सद्व्यवहार के पर्याप्त अंक प्राप्त हों और प्रतिभावान् हों। इसके लिए सरकार को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा और उचित प्रकार के रोजगार दिलाने की सुविधा प्रदान करनी होगी।

अब आती है सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की ओर से नशे की दवाइयों का नियन्त्रण हो, खुली बिक्री न हो। आयात भी नियन्त्रित किया जाए तथा अधिकाधिक लाभ पाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। उनके इस्तेमाल को कानून द्वारा रोका जाए। इस प्रकार की नशीली दवाइयों तथा नशे की वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा कर उनकी कीमतें बढ़ा देनी चाहिए जिससे इसका प्रयोग मंहगा हो जाए। यह ठीक है कि भारत सरकार ने अफीम आदि वस्तुओं के सेवन पर मार्च 1969 से रोक लगा दी है तथा चरस की खुली बिक्री की भी छूट नहीं है पर जरूरत इस बात की है कि कड़ाई से इनके प्रयोग को रोका जाए। इसके अलावा, जो युवक अत्यधिक मादक द्रव्यों के सेवन से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं उनका उचित प्रकार से इलाज होना चाहिए तथा उनको उसके बुरे प्रभावों के बारे में बताना चाहिए जिससे आगे से अन्य युवक उन द्रव्यों का सेवन कर अपनी जिन्दगी बर्बाद न करें। मादक-द्रव्यों के प्रयोग की समस्या को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए क्योंकि आज के विज्ञान के युग में एक देश के युवकों की आदतों का असर दूसरे देश के युवकों पर पड़ना स्वाभाविक है।

ओम प्रकाश चौहान
10, गान्धीनगर
आगरा

पहला सुख निरोगी काया

अम्लपित्त और उसका उपचार *

भूदेव वर्मा भिषगाचार्य

आजकल प्रायः देखा जाता है कि 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग अमलपित्त रोग के शिकार हैं। अंग्रेजी में इसे 'एसिडिटी' कहा जाता है। शरीर में जब अम्ल रस की वृद्धि होती है तथा भोजन का परिपाक ठीक नहीं होता तो लोगों को खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं और खट्टे खट्टे वमन होने लगते हैं। यह प्रायः तब होता है जब मनुष्य के खान पान में गरम चीजों अर्थात् पित्त को कुपित करने वाली चीजों का अधिक प्रयोग किया जाता है। भोजन पर पाचक पित्त की जब क्रिया होती है तो भोजन से बनने वाले रस में मधुरीभाव, अम्लीयभाव और कटुभाव की अवस्था उत्पन्न होती हैं। मधुरी भाव में कफ की उत्पत्ति, अम्लीभाव में पित्त की और कटुभाव में वात की उत्पत्ति होती है। यदि पित्त दूषित हो गया हो तो आमाशय से गृहणी में जाते समय भोजन का अम्ल रस अधिक बनता है अर्थात् जो पित्त वहां बनता है वह अधिक अम्ल गुणयुक्त होता है। इसी से अम्लपित्त रोग की उत्पत्ति होती है। यदि यह पित्त गृहणी में चला जाए तो वह पक्काशय से होते हुए गुदा मार्ग से मल के साथ बाहर निकलता है। इसे अधोगामी अमलपित्त कहा जाता है। यदि पित्त वमन के साथ मुख से निकले तो उसे ऊर्ध्वगामी अमलपित्त कहते हैं।

चिकित्सा न करने पर अम्लपित्त रोग प्रायः पुराना पड़ जाता है। इससे पित्तज गृहणी हो जाती है तथा आमाशय में सूजन, जलन तथा मुखपाक हो जाता है। इस अवस्था में रोग की चिकित्सा कठिन हो जाती है और इस रोग को कृच्छसाध्य कहा जाता है। कभी-कभी अम्लपित्त रोग में सर्वांगीण विकृति पैदा हो जाती है। इससे भोजन का परिपाक ठीक नहीं होता, आम बनने लगती है, हृदय और कण्ठ में दाह पैदा हो जाती

है। खाने में अरुचि, उबकाई, शरीर में भारीपन, और शिथिलता पैदा हो जाती है। भोजन के बाद प्रायः उल्टी हो जाती हैं और कभी-कभी भोजन करने से पहले भी उल्टियां हो जाती हैं। हृतप्रदेश, कटि और कण्ठ में जलन होती है और सिर में दर्द होता है। मल अक्सर पतला होता है तथा प्यास, जलन, मूर्छा, भ्रम, कम्प, प्रलाप तथा गात्र शैथिल्य आदि विकार पैदा हो जाते हैं।

चिकित्सा

सबसे पहले तो रोगी को अपने खान-पान में उन वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए जो गरम हों और पित्त को प्रकुपित करने वाली हों। चाय और काफी का अधिक सेवन शरीर में अम्ल रस पैदा करता है। अतः इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नारियल के सेवन से शरीर में अम्लरस की वृद्धि नहीं हो पाती। अतः नारियल का रोग की अवस्था में सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अविपत्तिकर चूर्ण इसकी बहुत अच्छी दवा है। यह ज्यादा मंहगा भी नहीं होता और रोगी इसके सेवन से आरोग्यलाभ प्राप्त कर सकते हैं। औषधि देने से पूर्व रोगी का वमन विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिए। सूत शेखर रस इस रोग की रामबाण दवा है। इसकी एक एक रत्ती सुबह और शाम 6-6 माशा खंडामलकी के साथ देने से रोग का पूर्णतः शमन हो जाता है। इसके साथ भूनिम्बादि क्वाथ का भी सेवन करना चाहिए। भोजन के बाद पानियाअभ्रक वटी की 4 गोली 5 तोले सौंफ के अर्क के साथ देनी चाहिए। रात को सोते समय लीलाविलास रस एक रत्ती और धात्री लोह 4 रत्ती शहद में मिलाकर चाटना चाहिए।

भोजन में खील, मूंग, पेठा, परबल, चीनी आदि का प्रयोग करना चाहिए जबकि तिल, मांस, कुल्थी तथा कटु, अम्ल और लवण पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नींबू का प्रयोग अम्लपित्त रोग में लाभदायक है। □

बरसाती मौसम के रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार

वर्षा का मौसम सामान्यतः जुलाई से अक्तूबर तक होता है। इस मौसम का स्वास्थ्य पर काफी अच्छा-बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों के लिए यह वरदान साबित होता है तो कुछ लोगों के लिए बीमारी का कारण बनता है। वर्षा होने पर तापमान गिर जाता है। कभी वर्षा होती है तो कभी तीखी धूप पड़ती है। जब वर्षा होती है तो शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और इससे पेशाब अधिक आता है। और जब तीखी धूप पड़ती हैं तो पसीना अधिक आता है और पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। इसका शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। नदियों और तालाबों का पानी दूषित हो जाता है? कुओं के पानी में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अतः इस मौसम में पानी उबालकर पीना हितकर है।

बरसात के मौसस में अक्सर फोड़ा, फुंसी, हैजा, दस्त, जुकाम, खांसी तथा बुखार आदि रोगों का प्रकोप अधिक होता है। इन्हीं दिनों टाइफाइड की भी शिकायतें अधिक पाई जाती हैं। इन रोगों से बचने के लिए जरूरी यह है कि वर्षा के शुरू में ही उन विकारों का वमन विरेचन द्वारा शोधन कर लिया जाए जो गर्मी की ऋतु में शरीर में इकठ्ठे हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में आकर कुपित होते हैं।

डा० एच०एल० चिटकारा

जहां तक होम्योपैथिक चिकित्सा का सम्बन्ध है नेट्रम सल्फ 6X वर्षा ऋतु के रोगों की महान औषधि है। पीले रंग के दस्त, पित्त की उल्टियां, मूत्र की अधिकता, दमे का प्रकोप, त्वचा पर छाले या खुजली, जुकाम या खांसी हो तो इन रोगों के लिए यह औषधि रामबाण साबित होती है।

डलकामारा :—वर्षा शुरू होते ही दस्त लग जाएं, जुकाम हो जाए और दस्त बन्द होने पर जोड़ों में दर्द हो तो यह औषधि बड़ी उपयोगी साबित होती है।

रस टास्क—गर्मी में से आकर एकदम ठंडा पानी पीने से जब गला खराब हो, जोडों में दर्द हो, बुखार तथा खांसी हो और आराम से बैठा न जा सके तो इस औषधि का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है।

वाली मूर 6-X :—पेट खराब होने पर दवा सुबह-शाम लेने से कब्ज दूर होती है। नेट्रम्मूर 6-X का प्रयोग भी लाभकारी होता है। कब्ज दूर करने के लिए सुबह सल्फर 30 और शाम को नक्स 30 का प्रयोग भी लाभकारी होता है। ये दवाएं 6 तथा 30 पोटेंसी की लेनी चाहिए।

इसके अलावा, बरसात के मौसम में खान पान में परहेज से काम लेना भी जरूरी है। तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। साब्जियों में नीबू का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर हरी सब्जियों का प्रयोग कराना चाहिए पर उन हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गन्दी जगह पैदा होती हैं और जिनमें कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं। इन दिनों दही की जगह दूध का प्रयोग लाभकारी होता है। □

केन्द्र के समाचार

मवेशी नस्ल सुधार फार्म

हिसार (हरियाणा) और बाड़पेट (असम) में दो मवेशी नस्ल सुधार फार्मों के और अधिक विकास के लिए आस्ट्रेलियाई सहायता सम्बन्धी समझौता हो गया है। इस समझौते के अन्तर्गत हिसार और गुवाहाटी में अति न्यून तापक्रम पर शुक्राणु केन्द्र बनाए जाएंगे।

आस्ट्रेलिया सरकार हिसार और बाड़पेट के लिए 600 जर्सी गायें और 60 बैल देंगी। इनमें से 20 बैल गुवाहाटी केन्द्र के लिए होंगे। इन दोनों परियोजनाओं के लिए भारत में न मिलने वाले यन्त्रों और उपकरण भी आस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए भारतीय कर्मचारियों को आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण की भी सुविधाएं दी जाएंगी।

आस्ट्रेलिया की कुल सहायता लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये की होगी। 6 वर्ष की अवधि वाली इन दोनों परियोजनाओं के लिए भारत 3 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च करेगा। मवेशियों की संकर नस्लों से दूध का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

आस्ट्रेलिया की यह सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत है। आस्ट्रेलिया ने अन्य अनेक कार्यक्रमों के लिए भी सहायता दी है।

भू-स्खलन रोकने के उपाय

*भू-स्खलन में झुकी हुई चट्टानें या मिट्टी के ढेर खिसक जाते हैं। जल इसमें चिकनाई का काम करता है।

*भू-स्खलन की इन घटनाओं को जल विभाजक प्रबन्ध कार्यक्रम के जरिए कम किया जा सकता है विशेष कर जहां मिट्टी खिसकने की आशंका अधिक होती है।

*तीसरी योजना की अवधि में जल विभाजन प्रबन्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है।

*केन्द्रीय-प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजनाओं के 21 जल विभाजकों में एक लाख हैक्टेयर भूमि की देखभाल की गई है।

*राज्य क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन को रोका जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर भूमि की देखभाल की गई है।

*सड़कों, रेलों, पुलों आदि के लिए खतरा पैदा करने वाले भू-स्खलन रोकने के उपाय सम्बद्ध विभागों द्वारा किए जाते हैं।

समन्वित कार्यक्रम

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और प्रसूति की समन्वित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुधन्धी कार्यकर्त्ताओं की योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

बहुधन्धी कार्यकर्त्ताओं को क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों में अपने नए कार्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

अनुमान है कि इस प्रकार का हर पुरुष कार्यकर्त्ता 6,000 से 7,000 तक की आबादी की और महिला कार्यकर्त्ता 10,000 से 12,000 तक की आबादी की सेवा कर सकेंगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना "गन्दगी व बीमारियों के विरुद्ध युवा-वर्ग" अभियान के अन्तर्गत 10-10 दिनों की अवधि के 53 ग्रीष्म शिविर पंजाब में लगाए जा रहे हैं। जुलाई में 29 तारीख को समाप्त होने वाले इन शिविरों में 1,600 से भी अधिक छात्र भाग ले रहे हैं जिनमें 250 लड़कियां भी शामिल हैं। 53 कालेजों में चुने गए छात्र गांवों में सामाजिक चिकित्सा के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। युवा-वर्ग को राष्ट्र-निर्माण से सम्बद्ध करने के इस अभियान के अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण की स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा तथा गोबर गैस संयन्त्र योजना को लोकप्रिय बनाना शामिल है।

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित 400 चिकित्सा कर्मचारियों को काम पर लगाया है। लगभग साढ़े तीन लाख बच्चों की डाक्टरी-जांच तथा तत्काल इलाज किए जाने की आशा है। राज्य के शिक्षा व कृषि विभागों के अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी इस योजना के कार्यान्वयन में सहयोग दे रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के 10 कालेज भी शिविरों में भाग ले रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा अभियान के अन्तर्गत यह दूसरा अभियान है। पहला अभियान 'अकाल के विरुद्ध युवा-वर्ग' पिछले वर्ष शुरू किया गया था, जिसमें देश भर के छात्रों ने भाग लिया था।

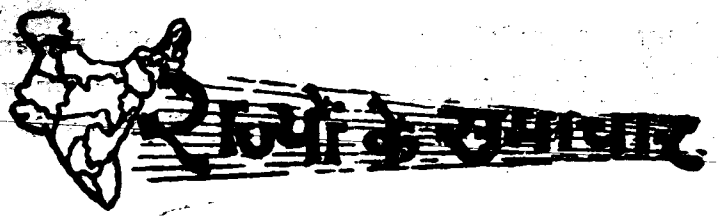

उत्तर प्रदेश

अंगूर की खेती

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बकेवर में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी की गई जिसमें 150 किसानों ने भाग लिया। केन्द्र में 'व्यूटी सीडलैस', 'परलेट', 'पूसा सीडलैस' और गुलाबी पौधे लगे हैं। पिछले साल पहली फसल ली थी जिससे फी बेल 3½ किलो अंगूर मिला। 5-6 साल बाद की बेल से 15-20 किलो अंगूर मिलता है।

एक एकड़ में अंगूर की 435 बेलें लगाई जाएं तो फी एकड़ 65 से 87 क्विंटल उपज मिलती है और किसान फी एकड़ 8,000 से 10,000 रु० कमा सकता है। यह केन्द्र बेलें तैयार कर किसानों को रियायती दर पर देगा।

गांव सभा को इनाम

गांव सभा सल्ला रीनेवा, विकास खंड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा को 1973-74 में अल्प बचत में राज्य भर में पहले नम्बर पर रहने पर 5,000 रु० का इनाम मिला।

तमिलनाडु

टेपियोका की खेती

तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ अपनी भेंट के समय धान पैदा न करने वाले इलाकों में टेपियोका की खेती की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उत्पादन बढ़ जाने से खाद्यान्न की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा। टेपियोका की खेती, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में की जा सकती है जिससे 1 करोड़ 10 लाख टन वार्षिक उत्पादन होगा।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने विचार-विमर्श के लिए सभी राज्यों को आमंत्रित किया है। केन्द्र ने छोटी सिंचाई के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए राज्यों को अधिक धान देने के लिए कहा है। कृषि मंत्री ने उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा।

मध्य प्रदेश

डेनिश परियोजना

मध्यप्रदेश की राजधानी में दूध 3 रु० 50 पैसे लिटर बिक रहा है और वह भी मिलावटी। दूध पूर्ति की योजनाएं-परियोजनाएं बनने पर भी दूध का भीषण अभाव रहा है। ऐसे समय में **भदभदा** में दूध का काम शुरू होना एक आशा की किरण है। इस परियोजना के द्वारा पशुपालकों को वहां पशु देकर बसाएंगे। दूध वृद्धि के लिए दाने चारे भूसे की मदद भी दी जाएगी। इसी प्रकार दुग्ध पूर्ति की दूसरी एक दुग्ध योजना डेनिश मदद से प्रारम्भ होने की आशा है।

दुग्ध उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला देश डेनमार्क भारत को हर प्रकार की मदद दे रहा है।

डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से एक डेनिश परियोजना तैयार की गई है। दो करोड़ की यह योजना भोपाल में भदभदा के पास कार्यान्वित की जाएगी। 200 एकड़ के प्रक्षेत्र में प्रारम्भ में डेनमार्क से प्राप्त 200 जानवर रखे जाएंगे। डेनिश सरकार से 40 लाख रुपए के संयन्त्र उपकरण भी मिलेंगे।

विश्वास किया जाता है कि इस परियोजना की स्वीकृति अक्टूबर 1974 तक प्राप्त हो जाएगी तथा 1 दिसम्बर 1974 से काम शुरू हो जाएगा।

पम्पों में वृद्धि

मध्यप्रदेश में कृषि के द्रुत यन्त्रीकरण के फलस्वरूप गत दस वर्षों में सिंचाई के लिए बिजली के पम्पों की संख्या में लगभग 27 गुनी वृद्धि हुई है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग की सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश में 1960-61 में केवल 2,228 बिजली के पम्प थे जिनकी संख्या 1971-72 में बढ़कर 6,281 हो गई। इसी तरह तेल के पम्पों में भी 5-4 गुनी वृद्धि हुई। इनकी संख्या पहले केवल 9,681 थी जो कि बढ़कर 52,386 हो गई है।

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि इसके साथ ही अन्य सिंचाई के साधनों में नए कुओं का निर्माण कार्य एवं कुओं के छिद्रण एवं गहराई का कार्य भी द्रुत गति से हुआ। 1968-69 में नए कुओं के निर्माण की संख्या 6,14,896 थी जो कि 1972-73 में बढ़कर 7,59,000 हो गई। इसी तरह 1,10,759 कुओं का छिद्रण कार्य गत वर्ष तक हुआ।

सिंचाई साधनों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य के सिंचित क्षेत्र में भी लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। 1961-62 में केवल 9.38 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत था, जो कि 1971-72 में बढ़कर 17.04 लाख हेक्टर हो गया।

राजस्थान

किसानों को सुविधा

हाल ही में राजस्थान के खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री शिवचरण माथुर द्वारा गंगानगर जिले के दौरे के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार जिला प्रशासन ने सरकार को गेहूं विक्रय करने वाले कृषकों को गत 31 मई तक प्राप्त रासायनिक खाद का कोटा पुरानी दर पर ही देने की व्यवस्था कर दी है।

चार क्विंटल गेहूं की लेवी देने वाले कृषकों को यूरिया खाद का एक कट्टा तथा दो क्विंटल गेहूं देने वालों को एक कट्टा सी०एन० देने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित लेवी के अतिरिक्त चार क्विंटल गेहूं देने वाले किसानों को एक कट्टा डी०ए०सी० खाद देने की भी व्यवस्था की गई है।

यदि किसी कृषक के लेवी की मात्रा एक कट्टा रासायनिक खाद प्राप्त करने जितनी भी न हो तो वह निर्धारित मूल्य पर अधिक गेहूं बिक्री कर इसी अनुपात में पूरा कट्टा अथवा इससे अधिक खाद प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार सीमेण्ट की मात्रा भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 80 प्रतिशत कर दी गई है।

विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सीमेण्ट वितरित करते समय लेवी देने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाए। कृषकों द्वारा लेवी देने की पर्ची दिखाने पर यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

रोजगार कार्यक्रम

पांच लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत टांक और निवाई में कम-मूल्यवान पत्थरों की कटाई के दो प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनमें 40 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण की अवधि नौ माह की है तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में 100 रु० प्रति माह भत्ता दिया जाता है। पत्थर की कटाई के दक्ष कलाकारों द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रशिक्षणार्थी इस कला में स्वयं की इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।

टांक जिला में कम मूल्यवान पत्थरों के काफी भण्डार हैं और इन प्राकृतिक स्रोतों का पूरा पूरा उपयोग करने का निश्चय किया जा चुका है। □

कहानी...... [पृष्ठ 28 का शेषांश]

आइए साहब। आपका बुलावा है। दूकानदार ने कहा। अब वह अपनी छोटी मोटी दूकान को बन्द करने लगा था। मैंने कहा—

मगर, और लोगों ने बाद में यही काम क्यों नहीं किया। खास तौर से तुमने।

अजी जिस ने किया, वही फायदे में रहा। मगर उतनी कमाई कोई नहीं कर पाया। मैंने भी किया था, मगर रिश्तेदारों ने रुकवा दिया। और हां, एक बात कान में बताऊं, इस लालो काका का जोरदार काम इसलिए हो गया कि इसे एक सिद्ध पुरुष ने आशीर्वाद दिया था। मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है। दूकानदार ने कहा।

कान की इस बात पर मुझे हंसी आई। मैंने उससे कहा—अपना कान इधर लाओ तो एक बात मैं भी बताऊं—वह सिद्ध पुरुष कोई साधू नहीं था। पोल्ट्री विभाग का अफसर ही था—जिसे आपके ही देवता तुल्य पन्त जी ने इस गांव में मुर्गी और मछली पालने का काम बढ़ाने का हुक्म दिया था। अब तुम भी यह काम शुरू कर डालो।

407, कल्पना नगर, पटेल मार्ग
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

किसानों की शिक्षा का लोकप्रिय कार्यक्रम

केरल के किसानों में आकाशवाणी का वह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है जिसमें उन्हें विद्यालय की भांति पाठ्यक्रम प्रसारित करके कृषि की शिक्षा दी जाती है। केरल में उगाई जाने वाली फसलों में काफी विविधता है, वहां के लघु कृषक अल्प विकसित हैं और दूसरी ओर वहां आधुनिक बागान भी हैं। केरल की आय का 55 प्रतिशत कृषि से ही आता है। समस्त मजदूरपेशा वर्ग का 56 प्रतिशत कृषि कार्य में है और इस क्षेत्र में एक करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की निम्नतम सीमा से भी नीचे हैं। केरल की चावल की वार्षिक आवश्यकता 27 लाख टन की है जबकि उसका उत्पादन आवश्यकता का आधा ही है और वह भी तब, जब हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन में भारी सुधार किए गए हैं। चावल का उत्पादन 2.7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ता है किन्तु उत्पादन में वृद्धि मात्र 1.2 प्रतिशत ही होती है। नियन्त्रित कृषि पर्यावरण और प्रक्रिया वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों का लाभ यहां के किसान नहीं ले सके हैं।

केरल के आकाशवाणी केन्द्र किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं। इन प्रसारणों से प्रोत्साहित होकर कुछ चुनी हुई फसलों पर विस्तृत शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार पैदा हुआ। आकाशवाणी का कृषि विद्यालय नामक नया ग्रामीण कार्यक्रम भारत में ग्रामीण प्रसारण के क्षेत्र में नया प्रयोग है। इसका उद्घाटन 1973 में गांधी जयन्ती को हुआ था। सावधानी से तैयार किए गए पाठों के माध्यम से किसानों को खेती के क्षेत्र की नई तकनीकों से परिचित कराने का प्रयास किया गया।

सबसे पहली दिक्कत यह थी कि विविध कृषि जलवायु की स्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाने वाले विशाल कृषक समुदाय को कैसे सूचित किया जाए। शैक्षिक पाठ्यक्रम के आरम्भ के लिए चावल को चुना गया। चावल की खेती, कटाई और भण्डारण विषयों पर 33 पाठों की शृंखला तैयार करके प्रसारित की गई। ये पाठ 23 विषयों पर थे और अगले दिन दुहराए जाते थे ताकि श्रोताओं की याद्दाश्त ताजा हो जाए और जो लोग पहले नहीं सुन सके थे, वे अगले दिन सुन लें। आधारभूत सामग्री केरल कृषि विश्वविद्यालय के चावल शोध स्कन्ध के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई। पाठ सरल भाषा में तैयार किए गए थे और आकाशवाणी के त्रिचुर और एलेप्पी केन्द्रों से प्रातः 7.05 से 7.20 बजे तक सप्ताह में तीन दिन प्रसारित किए जाते थे। किसानों की राय का सर्वेक्षण करने से पता लगा कि यह समय सभी के लिए सुविधाजनक था। इस कार्यक्रम की एक सीमा यह है कि गांवों में रेडियो सेट बहुत कम हैं। अनुमान है कि केरल के गांवों में 1 लाख 89 हजार घरेलू रेडियो सेट हैं और 3,000 सामुदायिक रेडियो सेट हैं जबकि इस कार्यक्रम के श्रोताओं की संख्या 2 लाख 20 हजार है।

किसानों की आकाशवाणी के कार्यक्रम में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें आकाशवाणी में पंजीकरण कराने को कहा गया। उन्हें एक पंजीकरण संख्या दी जाती थी जिसे बाद के पत्र व्यवहार में उद्धृत किया जाता था। यह उपाय श्रोताओं से निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए किया गया। आकाशवाणी की श्रोता शोध इकाई ने आकाशवाणी के कृषि विद्यालय कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया। पता लगा कि सभी किसानों की इसके बारे में एक राय थी कि यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी है।

पाठों के बारे में बहुतों ने यह बताया कि उन्हें इस शिक्षा से अधिक वैज्ञानिक ढंग और उचित विधि से खेती करने में मदद मिली। मदद से किसानों ने कहा कि धान के विभिन्न रोगों और उनकी रोकथाम के उपायों की जो जानकारी उन्हें मिली, वह बड़ी लाभप्रद सिद्ध हुई। और अधिक लोगों ने यह बताया कि इस कार्यक्रम के सुनने के फलस्वरूप वे धान की अधिक उपज ले सके। किसानों ने कार्यक्रम में सुधार के भी सुझाव दिए। प्रसारित किए जाने वाले पाठों को वे छपे-छपाए रूप में मुफ्त या उचित कीमत पर चाहते थे। कुछ किसानों ने सुझाव दिया कि बीज, खाद, औजार, कीटनाशक दवाई आदि की उपलब्धि के बारे में सूचना भी साथ ही साथ दी जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह सुझाव था कि पाठों के बाद अनुभवी किसानों की वार्ताएं प्रसारित की जानी चाहिए।

आकाशवाणी ने अब दूसरा पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। इस बार का विषय नारियल की खेती है। बाद में रबड़, टेपिओका और सब्जियों आदि की खेती पर पाठ प्रसारित किए जाएंगे।

मल्लिका

'मल्लिका' एक नए किस्म का आम है, जो नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने विकसित किया है तथा जिसमें नीलम और दशहरी आमों के सर्वोत्तम गुण शामिल हैं। इसे लगभग दो सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अच्छे आकार (औसतन 300 ग्राम) और सुन्दर रंग के इस आम में बढ़िया व काफी गूदा होता है तथा इसकी गुठली छोटी है। इसका स्वाद और सुगन्ध बहुत अच्छी हैं।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D (D)/98

[आवरण पृष्ठ II का शेषांश]

आवास विकास निगम गांवों में कार्य नहीं करता। ग्रामीण आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत थोड़ा-बहुत कार्य हुआ है, पर धन की कमी के कारण अधिक प्रगति नहीं हो पाई। हरित क्रान्ति का भी स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कहा जाता है कि विकासमान अर्थ-व्यवस्थाओं में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, पर हमसे भी कम साधन-सम्पन्न कुछ अफ्रीकी देशों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है।

पता चला है कि गांवों में 30 वर्ग-मीटर का पक्का घर बनाने के लिए एक मजदूर की 5 साल की कमाई लग जाती है। मजेदार बात है कि किसी भी मजदूर को पूरे साल खेतों पर काम नहीं मिल पाता। छः महीने भी मजदूरी मिल जाए तो भगवान का शुक्र मनाया जाता है। साफ है, एक मजदूर को 10 साल की आय सिर पर मढ़ैया जुटाने में खप जाएगी। वह एक पीढ़ी में मकान पूरा करने की सोच भी नहीं पाता। एक कमरा हिम्मत करके मजदूर ने बना लिया तो हो सकता है कि अगला कमरा उसका बेटा जवान होकर बनाए।

सीमित साधनों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह कुछ स्थानों पर गृह निर्माण की 'माडल' योजनाएं' चलाए जो आसपास के गांवों के लोगों के लिए आदर्श हों। सस्ती पर टिकाऊ निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाए। नक्शे इस प्रकार के तैयार किए जाएं कि थोड़े से क्षेत्र में ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बहुधा देखा गया है कि बड़े क्षेत्र में मकान बनाना शुरू किया जाता है, पर अधबर में ही साधन समाप्त हो जाते हैं जिससे ग्रामीण किधर का भी नहीं रहता। इस स्थिति से बचना चाहिए। सरकारी साधन कम से कम इतने तो मिलने ही चाहिए कि मकान बनाना शुरू करने के पश्चात् वह बीच में न रुके।

पांचवीं योजना में आवास पर 4,670 करोड़ रु० के खर्च की आशा है जिसमें से 3,640 करोड़ रु० निजी क्षेत्र में खर्च होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च केवल 580.16 करोड़ रु० होगा। रेलवे, डाक-तार और रक्षा मन्त्रालय अपने आवास कार्यक्रमों पर 450 करोड़ रु० खर्च करेंगे। राज्यों की योजनाओं में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने को जमीनें देने के लिए 108.16 करोड़ रु० रखा गया है। आशा है कि इससे 40 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। प्रश्न है—केवल जमीन मिल जाने पर भूमिहीन उस पर मकान कैसे बनाएंगे ?

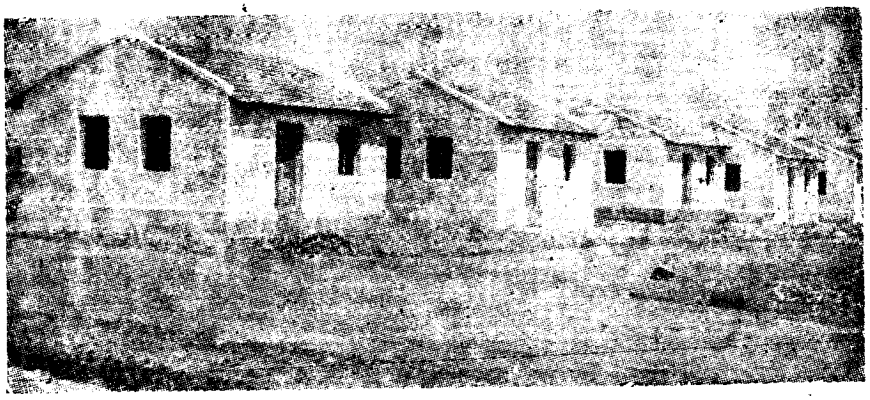

जमीन भी मिल जाए तो गनीमत है। पंजाब के एक समाचार के अनुसार जिन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रिहाइशी जमीन के पट्टे मिले उनमें से एक को भी कब्जा नहीं मिला। हरियाणा में जमीनों पर कब्जा तो मिल गया, पर जमीनें मिल गई 'लाल डोरा' से बाहर जहां भूमिहीन निर्माण कार्य नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि जोतों की चकबन्दी के समय से ही तकनीकी एजेंसियों को साथ रखा जाए, ताकि 'लाल डोरा' का प्रसार हो और जरूरत अनुसार कृषि जमीनों के कुछ भाग को आबादी की जमीन घोषित किया जाए।

राष्ट्र संघ की सिफारिश के अनुसार हर 1,000 जनसंख्या के पीछे 10 मकान वार्षिक बनने चाहिए, पर भारत में केवल 0.44 बन रहे हैं। केन्द्रीय भवन निर्माण संस्थान, राष्ट्रीय भवन संगठन और क्षेत्रीय ग्रामीण आवास केन्द्र भवन अनुसन्धान और विकास में लगी संस्थाएं हैं। पहली संस्था के पास काफी साधन और मजबूत संगठन है, पर ग्रामीण आवास पर वह बहुत कम ध्यान देती है। कुछ समय पहले इसने गांवों में स्कूल भवनों के निर्माण की पांच करोड़ रु० की योजना काफी धूम-धड़ाके से शुरू की थी। दूसरा संगठन अपनी सीमाओं के कारण अधिक कार्य नहीं कर पाया। ग्रामीण आवास केन्द्रों के पास साधनों का अभाव है। दूसरे, ये केन्द्र स्थायी संगठन भी नहीं हैं। कभी भी इन्हें समाप्त किया जा सकता है। इसलिए पहली दो संस्थाओं को ग्रामीण आवास की समस्याओं पर अपना अधिक समय लगाना चाहिए जबकि तीसरी—ग्रामीण आवास केन्द्र—को अधिक साधन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। केन्द्रों का स्थायीकरण भी होना आवश्यक है जिससे वे जमकर कार्य कर सकें।

"अराजकता का यह नंगा नाच क्यों ?" शीर्षक लेख के लेखक योजना (हिन्दी) के भूतपूर्व सम्पादक श्री गुरुदत्त जी हैं। यह लेख कुरुक्षेत्र (हिन्दी) के जुलाई 1974 के अंक में छपा था और गलती से लेखक का नाम छूट गया था। —सम्पादक